मानव विकास

13
अध्याय

आर्थिक विकास हालांकि महत्वपूर्ण होता है परन्तु इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। जीवन का उच्चतर स्तर तथा सबों के लिए विकास अवसर जो आर्थिक विकास द्वारा सृजित बृहत् संसाधनों से उत्पन्न हों, विकास नीति के अंतिम लक्ष्य होते हैं। इसका तात्पर्य क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को दूर किए जाने और साथ ही गरीब और हाशिए के लोगों विशेषकर महिलाओं की अधिकारिता की आवश्यकता है जिससे कि समग्र विकास प्रक्रिया अधिक समावेशी बन सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप उपशीर्षक अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत् विकास संबंधी बहस को सही परिदृश्य प्रदान करता है। गरीबों के लिए सरकार की लक्षित नीतियां जिसमें अल्प लीकेज की संभावना है से परिव्यय के परिणाम में परिवर्तन होने की बेहतर सहायता मिल सकती है।

13.2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट ने, जो गत पांच वर्षों से बना हुआ है, न केवल विश्व के लगभग सभी देशों की बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है वरन विकासात्मक नियोजन के लिए सबक भी दिए हैं। इन देशों के पास ऐसी घटनाओं, जो कमजोर और अति-संवेदनशील को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं एवं वर्षों के लिए उनके विकास के परिणामों को समाप्त कर देती हैं, का सामना करने के लिए अंतर्निर्मित सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क होने चाहिए। तथापि, भारत अपने समावेशी विकास पर फोकस एवं समय पर हस्तक्षेप के जरिए इस संकट का अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम रहा है।

13.3 भारत जनसांख्यिकीय क्रांति की कगार पर है, इसकी 15 से 59 वर्ष के बीच की कार्यबल आबादी के वर्ष 2001 में 58 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 64 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। जिससे कामकाजी आयु-समूह में 2011 और 2016 के बीच लगभग 63.5 मिलियन नए लोग और जुड़ जाएंगे, जिनमें से अधिकांश 20-35 वर्ष के अपेक्षाकृत तरुण आयु-वर्ग में होंगे। ऐसा होने पर यह विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से एक है, यह मानव संसाधन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जनसांख्यिकी लाभांश की फल-प्राप्ति केवल तभी हो सकती है जब यह युवा आबादी स्वस्थ, शिक्षित और कुशल हो (अध्याय 2 देखें)। हाल ही में हमारे प्रमुख सामाजिक संकेतकों के मद्देनजर भी, जो बंग्लादेश और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों की तुलना में कम प्रेरक रहे हैं, मानव विकास पर जोर दिया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए, भारत में नीति-निर्माता वर्षों से मानव विकास को फोकस में रखते हुए अधिक समावेशी वृद्धि और विकास में जुटे हुए हैं। यह एप्रोच वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, शिक्षा का अधिकार (आरटीई)-सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के लिए बजटीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोत्तरी में प्रतिबिंबित है।

मानव और जेंडर विकासः अंतर्राष्ट्रीय तुलना

13.4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) (जो दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षित और सुविज्ञ होने और जीवनयापन के अच्छे आर्थिक मानक, की तीन आधाभूत योग्यताओं के संबंध में मानव विकास इंडेक्स (एचडीआई) का अनुमान लगाता है) द्वारा प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध मानव विकास रिपार्ट, (एचडीआर) 2011 के अनुसार, 2011 में भारत का मानव विकास इंडेक्स 0. 547 था जिसमें एचडीआर 2010 में 119 (169 देशों में से) की तुलना में भारत का विश्व में 134वें (187 देशों में से) स्थान पर

सारणी 13.1 : मानव विकास 2011 में भारत की वैश्विक स्थिति

देश	एचडीआई		औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि दर (प्रतिशत)		जीएनआई प्रतिव्यक्ति (स्थिर 2005 पीपीपी $)	जीएनआई प्रतिव्यक्ति रैंक घटाव एचडीआई रैंक	आय-भिन्न एचडीआई मूल्य	जीआईआई	
	मूल्य	रैंक	1990-2011	2000-2011				मूल्य	रैंक
नार्वे	0.943	1	0.53	0.29	47,557	6	0.975	0.075	6
आस्ट्रेलिया	0.929	2	0.30	0.23	34,431	16	0.979	0.136	18
ब्राजील	0.718	84	0.86	0.69	10,162	-7	0.748	0.449	80
चीन	0.687	101	1.62	1.43	7476	-7	0.725	0.209	35
श्रीलंका	0.691	97	0.81	0.80	4943	12	0.768	0.419	74
थाईलैंड	0.682	103	0.89	0.78	7694	-14	0.714	0.382	69
फिलीपिन्स	0.644	112	0.58	0.62	3478	11	0.725	0.427	75
मिस्र	0.644	113	1.24	0.88	5269	-6	0.686	NA	NA
इंडोनेशिया	0.617	124	1.19	1.17	3716	-2	0.674	0.505	100
दक्षिण अफ्रीका	0.619	123	0.03	0.05	9469	-44	0.604	0.490	94
वियतनाम	0.593	128	1.50	1.06	2805	8	0.662	0.305	48
भारत	**0.547**	**134**	**1.38**	**1.56**	**3468**	**-10**	**0.568**	**0.617**	**129**
पाकिस्तान	0.504	145	1.12	1.33	2550	-7	0.526	0.573	115
बंगलादेश	0.5	146	1.69	1.55	1529	11	0.566	0.550	112
विश्व	**0.682**		**0.66**	**0.66**	**10,082**		**0.683**	**0.492**	

स्रोत : विश्व एचडीआर 2011
टिप्पणी : उ.न. उपलब्ध नहीं, 2011 में अथवा बिल्कुल हाल ही के वर्ष में उपलब्ध आंकड़ों ने संदर्भ में। पीपीपी क्रय शक्ति की समानता है।

है। वर्ष 2000-11 के बीच भारत की औसत वार्षिक एचडीआई में वृद्धि दर उच्चतम में से एक है, यह निष्कर्ष प्रायोगिक जनशक्ति अनुसंधान और नियोजन आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (एनएचडीआर) द्वारा स्थापित निष्कर्ष भी है। एनएचडीआर के अनुसार, वर्ष 1999-2000 और 2007-08 के बीच भारत के एचडीआई में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें मुख्य अभियान होने की वजह से शिक्षा में 28 प्रतिशत सुधार हुआ है। लैंगिक असमानता इंडेक्स (जीआईआई) के संबंध में, भारत का स्थान 129 है जो प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारिता, और श्रम-शक्ति भागीदारी के क्षेत्रों में लैंगिक भेद के कारण उपलब्धि में क्षति को दर्शाता है, जिसके मान 0 (पूर्ण समानता) से लेकर 1 (पूर्ण असमानता) तक हैं। काफी कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि हमारा जीआईआई 0.492 के वैश्विक औसत से उच्चतर है। इस संकेतक के संबंध में पाकिस्तान (115), बंग्लादेश (112) और श्रीलंका (74) का प्रदर्शन बेहतर रहा है (तालिका 13.1)। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की रैंकिंग घटा एचडीआई रैंकिंग-10 है जो इंगित करता है कि भारत का रैंक गैर-आय एचडीआई की तुलना में जीएनआई द्वारा बेहतर है। उप-परिणाम के तौर पर, भारत जीवन प्रत्याशा और शिक्षा से संगणित गैर-आय एचडीआई मान के प्रदर्शन में बदहाल है।

समावेशी विकास

13.5 इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम की प्रगति की पुनरीक्षा करने के अलावा, यह खंड गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण जैसे समावेशी विकास के प्रमुख आयामों की जांच करता है।

13.6 इस समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन के साथ सामाजिक समावेशन शामिल है और ज्यादातर मामलों में सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी वित्तीय रूप से बहिष्कृत हैं। भूमिहीन कृषिगत कामगारों, सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जन-जातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) जैसे जनसंख्या के प्रमुख घटकों के सामाजिक और वित्तीय अपवर्जन की क्षति होती रहेगी। समाज के सीमांत वर्गों ने मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की नीतियों को निदेश दिए गए हैं जैसा कि सरकार द्वारा सामाजिक-क्षेत्र व्यय में भी प्रतिबिंबित होता है।

भारत के सामाजिक-क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्ति

13.7 सामाजिक कार्यक्रमों को केन्द्र की सहायता में विभिन्न रूपों में विस्तार जारी है यद्यपि सामाजिक-क्षेत्र के अधिकांश विषय

सारणी 13.2 : सामाजिक सेवाओं और विकास पर केन्द्र सरकार का व्यय (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न)

(कुल व्यय का प्रतिशत)

मद	2007-8 वास्तविक	2008-9 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 सं०अ०	2012-13 ब०अ०
1. सामाजिक सेवा						
क. शिक्षा, खेल, युवा मामले	4.02	4.27	4.15	4.56	4.38	4.52
ख. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.05	2.09	2.00	1.98	1.90	2.06
ग. जलापूर्ति, आवास आदि	2.02	2.54	2.39	2.35	1.93	2.08
घ. सूचना एवं प्रसार	0.22	0.23	0.20	0.21	0.19	0.17
ङ. अनु० जाति/अनु० जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.36	0.41	0.43	0.58	0.64	0.61
च. श्रम एवं रोजगार	0.27	0.28	0.22	0.24	0.23	0.28
छ. सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.82	1.15	0.87	1.01	1.19	1.25
ज. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	0.00	0.02	0.02	1.65	1.88
झ अन्य सामाजिक सेवाएं	1.29	1.55	1.67	1.66	0.21	0.19
जोड़	**11.06**	**12.52**	**11.94**	**12.61**	**12.31**	**13.04**
2. ग्रामीण विकास	2.80	4.56	3.77	3.51	2.97	2.74
3. प्रधान मंत्री ग्रामसड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	0.91	0.88	1.11	1.87	1.52	1.61
4. सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और पीएमजीएसवाई	**14.77**	**17.95**	**16.82**	**18.00**	**16.79**	**17.39**
5. केन्द्र सरकार का कुल व्यय	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : स० अ०–संशोधित अनुमान, ब०अ०–बजट अनुमान।

सारणी 13.3 : सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किए गए खर्च की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

मद	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12 सं०अ०	2012-13 ब०अ०
कुल व्यय	315283	1599677	1852119	2145145	2518825	2835873
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	294583	380628	446382	529398	617939	710759
जिसमें से: i) **शिक्षा**	129366	162008	197070	244156	291378	331524
ii) **स्वास्थ्य**	63226	74273	88054	100576	115711	136296
iii) **अन्य**	101991	144347	161258	184666	210850	242939
			सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में			
कुल व्यय	26.37	28.41	28.59	27.52	28.07	28.28
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	5.91	6.76	6.89	6.79	6.89	7.09
जिसमें से: i) **शिक्षा**	2.59	2.88	3.04	3.13	3.25	3.31
ii) **स्वास्थ्य**	1.27	1.32	1.36	1.29	1.29	1.36
iii) **अन्य**	2.05	2.56	2.49	2.37	2.35	2.42
			कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में			
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	22.4	23.8	24.1	24.7	24.5	25.1
जिसमें से: i) **शिक्षा**	9.8	10.1	10.6	11.4	11.6	11.7
ii) **स्वास्थ्य**	4.8	4.6	4.8	4.7	4.6	4.8
iii) **अन्य**	7.8	9.0	8.7	8.6	8.4	8.6
			सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में			
i) **शिक्षा**	43.9	42.6	44.1	46.1	47.2	46.6
ii) **स्वास्थ्य**	21.5	19.5	19.7	19.0	18.7	19.2
iii) **अन्य**	34.6	37.9	36.1	34.9	34.1	34.2

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक। केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए अनुसार।

ब० अ०–बजट अनुमान स० अ०–संशोधित अनुमान

राज्यों की परिधि के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सेवाओं व ग्रामीण विकास (आयोजना और गैर-आयोजना) पर केन्द्रीय सहायता में 2007-08 में 14.77 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 (अनुमानित बजट (बीई)) में 17.39 प्रतिशत हो गई है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), और शिक्षा, के तहत उच्चतर व्यय के संयुक्त प्रभाव के कारण 2010-11 में अब तक का सर्वाधिक 18 प्रतिशत रहा है। (तालिका 13.2)

13.8 केन्द्र सरकार (केन्द्र व राज्य का संयुक्त) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में भी हाल ही के वर्षों में गिरावट दिखाई दी है जो इस क्षेत्र को दी गई उच्च प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करता है (तालिका 13.3)। कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2007-08 में 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 24.7 प्रतिशत हो गया है और 2012-13 (ब.अ.) में और बढ़कर 25.1 प्रतिशत हो गया है। सामाजिक सेवाओं में, शिक्षा पर सामाजिक सेवाओं में, शिक्षा पर समाजिक व्यय 2007-08 में 43. 9 से बढ़कर 2012-13 (ब.अ.) में 46.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्वास्थ्य पर व्यय 21.5 प्रतिशत से कम होकर 19.2 प्रतिशत रह गया है। सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के अनुपात के तौर पर, सामाजिक सेवा संबंधी व्यय 2007-08 के 5.91 (ब.अ.) से बढ़कर 2010-11 में 6.79 प्रतिशत और 2012-13 (ब.अ.) में और बढ़कर 7.09 प्रतिशत हो गया है। जबकि, सकल घरेलू उत्पाद (स. घ.उ.) के अनुपात के तौर पर, शिक्षा पर व्यय 2007-08 में 2. 59 से बढ़कर 2012-13 (ब.अ.) में 3.31 प्रतिशत हो गया है, स्वास्थ्य पर व्यय 2007-08 में 1.27 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 (ब.अ.) में 1.36 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 13.4 : विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वास्थ्य पर व्यय

(सघउ के प्रतिशतता के रूप में)

देश	स्वास्थ्य पर व्यय (2010 अथवा अद्यतन उपलब्ध वर्ष)		
	सरकारी	निजी	कुल
आस्ट्रेलिया	6.2	2.9	9.1
नार्वे	8.1	1.4	9.4
यूनाइटेड किंग्डम	8.0	1.6	9.6
संयुक्त राज्य	8.5	9.1	17.6
मैक्सिको	2.9	3.3	6.2
इंडोनेशिया	1.3	1.3	2.6
ब्राजील	4.2	4.8	9.0
रूसी फेडरेशन	3.2	1.9	5.1
भारत	**1.2**	**2.9**	**4.1**
चीन	2.7	2.4	5.1
दक्षिण अफ्रीका	3.9	5.0	8.9

स्रोत : ओईसीडी फेक्टबुक 2013 : आर्थिक पर्यावरणीय और समाजिक सांख्यिकी

13.9 तथापि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर शिक्षा पर व्यय कई अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। अधिकांश देशों के विपरीत, भारत में स्वास्थ्य पर निजी क्षेत्र का व्यय पब्लिक व्यय से अधिक है और 2010 में दुगने से भी अधिक था। इसके बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर स्वास्थ्य पर कुल व्यय का प्रतिशत कई अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में काफी कम है और यह बीआरआईसीएस (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों में निम्नतम है (तालिका 13.4)।

गरीबी

13.10 योजना आयोग प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए गृहस्थ उपभोक्ता व्यय के संबंधा में बड़े सैंपल सर्वेक्षणों से प्राप्त डाटा का प्रयोग कर गरीबी का अनुमान लगाता है। यह गरीबी रेखा को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आधार पर परिभाषित करता है। योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान के लिए अपनाई गई विधि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित रही है। प्रोफेसर सुरेश डी॰ तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह, अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2009 में प्रस्तुत की। इसने एमपीसीई के तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर 2004-05 में गरीबी रेखा की गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु॰ 447 और शहरी क्षेत्रों के लिए रु॰ 579 की है। 2004-5 के उपरांत, यह सर्वेक्षण 2009-10 में कराया गया। योजना आयोग ने गृहस्थ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से 66वें राउंड (2009-10) के डाटा का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2009-10 हेतु गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात को उद्यतन किया। इसने एमपीसीई के तौर पर अखिल भारत के लिए 2009-10 में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु॰ 673 और शहरी क्षेत्रों के लिए रु॰ 860 का अनुमान किया है। इन कट-ऑफ के आधार पर, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी में 2004-5 में 37.2 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 29.8 प्रतिशत रह गई है। समग्र रूप में भी, गरीबों की संख्या घटकर 52.4 मिलियन रह गयी है। इसमें से, ग्रामीण गरीब लोग 48.1 मिलियन और शहरी गरीब लोग 4.3 मिलियन है। इस प्रकार, 2004-05 और 2009-10 के बीच गरीबी में औसतन 1.5 प्रतिशत बिन्दुओं की गिरावट आई है। 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान वार्षिक औसत दर में 1993-04 से 2004-05 की अवधि के दौरान गिरावट से दोगुनी कमी आई है। (तालिका 13.5)

13.11 शिशु मुत्यु-दर (आईएमआर), 2005 में 58 प्रति हजार थी, जो गिरकर वर्ष 2011 में 44 प्रति हजार रह गई है। वार्षिक रूप से उपलब्ध करायी गई शौचालय सुविधाओं की संख्या 2002-03 में 6.21 लाख थी जो बढ़कर 2011-12 में 88 लाख हो

तालिका 13.5 : गरीब व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत

वर्ष	गरीब की संख्या (मिलियन)			गरीबी अनुपात (प्रतिशत)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1993-4	328.6	74.5	403.7	50.1	31.8	45.3
2004-5	326.3	80.8	407.1	41.8	25.7	37.2
2009-10	278.2	76.5	354.7	33.8	20.9	29.8
वार्षिक औसत गिरावट : **1993-4 to 2004-5** (प्रतिशत बिंदु प्रति वर्ष)				0.75	0.55	0.74
वार्षिक औसत गिरावट : **2004-5 to 2009-10** (प्रतिशत बिंदु प्रति वर्ष)				1.60	0.96	1.48

स्रोत : योजना आयोग, *तेंदुलकर विधि द्वारा अनुमानित।

गई है। इसी प्रकार, एमपीसीई (अचल मूल्यों पर) में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 में क्रमशः रु॰ 558.78 और 1052.36 से बढ़कर 2011-12 में रु॰ 707.24 और 1359.75 से गया है। इन सामाजिक संकेतकों में सुधार वंचन में गिरावट का भी संकेत है। योजना आयोग ने जून, 2012 में गरीबी के मापन की विधि की समीक्षा के लिए डा॰ सी॰ रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया है। (गरीबी के बारे में अंतर्राज्यिक तुलना संबंधी तालिका 13.8 भी देखें)।

असमानता

13.12 एचडीआर दो संकेतकों का मापन करता है। पहला निर्देशक आय गिनी गुणांक है, जो देश में बिल्कुल बराबर आय वितरण की दशा में व्यक्ति अथवा परिवारों के बीच आय के वितरण के विचलन को मापता है। 2010-11 में भारत में आय गिनी को एजेंसियां 36.8 थी। इस संबंध में भारत में असमानता अन्य विकासशील देशों अर्थात् दक्षिण अफ्रीका (57.8), ब्राजील (53.9), थाईलैंड (53.6), टर्की (40.8), चीन (41.5), श्रीलंका (40.3), मलेशिया (46.2), वियतनाम (37.6), और यहां तक कि यूएसए (40.8), हांग कांग (43.4), अर्जेन्टीना (45.8), इजरायल (39.2) और बुल्गारिया (45.3) से कम है, जिनका अन्यथा मानव विकास में काफी उच्च रैंक है। दूसरा निदेशक क्विंटाइल आय अनुपात है जो और द्वितीय क्विंटाइल आय अनुपात जो आबादी के सर्वाधिक धनाढ्य 20 प्रतिशत और सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत के बीच औसत आय का मापक है, 2010-11 की अवधि के दौरान भारत में क्विंटाइल आय अनुपात 5.6 था। आस्ट्रेलिया (7.0), यूएसए (8.5), न्यूजीलैंड (6.8), सिंगापुर (9.8), यूके (7.8) अर्जेन्टीना (12.3), मैक्सिको (14.4), मलेशिया (11.4), फिलीपाइन्स (9.0) और वियतनाम (6.2) में यह अनुपात उच्चतर था। इससे यह पता चलता है कि भारत में शीर्ष और निचले तलों के बीच असमानता कम है।

13.13 ग्रामीण–शहरी के अंतराल का अनुमान लगाने के लिए ऐसा मान नियत करने के लिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अथवा गृहस्थ के जीवन स्तर का संकेत मिलता है, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) का प्रयोग किया जाता है। एनएसएस के 68वें राउंड (2011-12) के अनंतिम निष्कर्षों के अनुसार औसत एमपीसीई (एक रूपी वापसी अवधि (यूआरपी) आधारित) ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः रु॰ 1281.45 और रु॰ 2401.68 है। तथापि, 2009-10 के मुकाबले 2011-12 में वास्तविक मूल्य में प्रति व्यक्ति ग्रामीण उपभोग में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि प्रति व्यक्ति शहरी उपभोग में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में एमपीसीई में बढ़ोत्तरी शहरी क्षेत्रों से

तालिका 13.6 : औसत एमपीसीई (एक समान रिकाल अवधि)

(₹ में)

एनएसएस राउंड	वर्ष	स्थिर मूल्य (2004-05)		चल मूल्य (2011-12)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
68वां राउंड	जुलाई 2011-जून 2012	707.24	1359.75	1281.45	2401.68
66वां राउंड	जुलाई 2011-जून 2012	599.06	1200.01	927.70	1785.81
61वां राउंड	जुलाई 2004-जून 2005	558.78	1052.36	558.78	1052.36

स्रोत : एनएसएसओ प्रैस रिलीज 1 अगस्त 2012 (एनएसएस डाटा के 68वें राउंड के परिणाम अनंतिम हैं)

अधिक है जिससे ग्रामीण-शहरी के बीच अंतराल के पटने का संकेत मिलता है (तालिका 13.6)। एमपीसीई में से, 66वें राउंड एनएसएस डाटा (2009-10) के अनुसार खाद्य हिस्सा ग्रामीण और शहरी हेतु क्रमशः रू॰ 600 (57 प्रतिशत) और रू॰ 881 (44 प्रतिशत) है जिससे शहरी भारत के मुकाबले ग्रामीण भारत में अधिक खाद्य का संकेत मिलता है। (तालिका 13.9 में अंतर्राज्यीय तुलना भी देखें)

रोजगार

13.14 गत दशक अर्थात 1999-2000 से 2009-10, में सामान्य प्रमुख और गौण स्थिति (यूपीएसएस) के आधार पर 1.6 प्रतिशत की रोजगार वृद्धि देखी गई। इस दशक के उत्तरार्ध में रोजगार में वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार 2009-10 बनाम 2004-05 में सभी आयु वर्गों में 2009-10 में श्रम बल की निरंतर भागीदारी (एलएफसीआर) थी। श्रम बल भागीदारी दर, जो जो कार्य करने के लिए इच्छु व्यक्तियों की संख्या में 2004-05 में 430 प्रति एक हजार से 2009-10 में 400 प्रति हजार की गिरावट दर्शाती है। ग्रामीण महिलाओं के एलएफपीआर में विशेषतौर पर गिरावट आई। श्रम बल में बढ़ोतरी में गिरावट संभवतः अधिक लोगों द्वारा शिक्षा/कौशल विकास का विकल्प चुनने के कारण थी। एनएसएस के आंकड़ों के अध्ययन दर्शाते हैं कि 1993-04 में 20.5%, 2004-05 में 24.3% और इसके बाद 2009-10 में 26.6% (जयन जोस थॉमस, ईपीडब्ल्यू, दिसंबर 22, 2012) होने से कुल आबादी में विद्यार्थियों के अनुपात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह 2009-10 के उत्तरार्ध में रोजगार में धीमी वृद्धि को भी स्पष्ट करती है। जनसंख्या में विद्यार्थियों के आबादी अनुपात में तीव्रतर वृद्धि होती है और ऐसा महिलाओं के मामले में अधिक होता है। तथापि, यह उल्लेख किया जाए कि वस्तुतः 2004-05 और 2009-10 के बीच यूपीएसएस मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनों में रोजगार दर में गिरावट आई जिसका आशय ऐसे व्यक्तियों का अधिक अनुपात होना है जो कार्य करने के इच्छुक थे, वास्तव में रोजगार कर रहे थे।

13.15 रोजगार की वर्द्धित गहनता सीडीएस पर आधारित कामगारों के रोजगार के समग्र बढ़ी उपलब्धता द्वारा भी प्रतिबिंबित होता है। 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान सीडीएस आधार पर रोजगार का सीएजीआर 1.11 प्रतिशत प्रति सलाना है जो कि यूपीएसएस संदर्भ में, रोजगार की वृद्धि के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से उच्च रहा है। दिलचस्प बात यह रही है कि यूपीएसएस और सीडीएस दोनों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार कम रहा और यूपीएसएस में शहरी क्षेत्रों में महिला रोजगार में कमी हुई। इसका कारण यह है कि (2009-10 में महिला 137 मिलियन) महिलाओं की महत्वपूर्ण संख्या ने शिक्षा जारी रखने के लिए कार्य न करने की ठानी। लेकिन कुल रोजगार का पुरूष और महिला संयुक्त ग्रामीण और शहरी संयुक्त दोनों ही पद्दतियों मे सकारात्मक है।

बेरोजगारी

13.16 1993-94 से 2004-05 की अवधि के दौरान यूपीएसएस आधार पर रोजगार की दर में धीमी गति से बढ़ोतरी हुई और सीडीएस आधार पर अपेक्षाकृत उच्च गति से बढ़ोतरी हुई। तथापि, 2009-10 की अवधि के दौरान, रोजगार की दर में गिरावट आई जो सीडीएस आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रही (देखें चित्र 13.1 और सारणी 13.8)। कम रोजगार वृद्धि के बावजूद, रोजगार की दर (सीडीएस आधार पर) 2004-05 में 8.2 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 6.6 प्रतिशत पर आ गई। बेरोजगार व्यक्ति दिवसों की कुल संख्या में 6.5 मिलियन तक की गिरावट हुई जो 2004-05 में लगभग 34.5 मिलियन से 2009-10 में 28 मिलियन हो गई।

13.17 2009-10 की अवधि के दौरान रोजगार में मामूली वृद्धि होने के बावजूद बेरोजगारी में गिरावट जनांकीय लाभांश के कारण हो सकता है जैसाकि शिक्षा के लिए बच्चों में समानुपात में वृद्धि होती है इसके बजाय कि श्रम बाजार में भागीदारिता। 1990-91 में 49.25 लाख से बढ़कर 2010-11 में 169.75 लाख हो गई जो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि परिलक्षित करता है। इसी प्रकार, कक्षा I-VIII में सकल नामांकन अनुपात 2004-05 में 93.54 से बढ़कर 2010-11 में 104.3 हो गई। शिक्षा का अभियान जैसे कार्यक्रमों ने भी इसमें योगदान दिया है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

13.18 संगठित क्षेत्र, सरकारी और निजी सम्मिलित में 2011 में रोजगार में वृद्धि 1.0 प्रतिशत बढ़ी है जो 2010 में 1.9 प्रतिशत रही (सारणी 13.7)। 2011 में निजी क्षेत्र के लिए रोजगार का वार्षिक वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रही जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नकारात्मक बनी रही। 2009-11 के दौरान संगठित क्षेत्र में महिलाओं का शेयर लगभग 20.5 प्रतिशत रहा और हालिया वर्षों में लगभग स्थिर बना रहा।

त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्टों के अनुसार 2011-12 में रोजगार की स्थिति।

13.19 श्रम ब्यूरो ने भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए पंद्रहवें त्रैमासिक त्वरित रोजगार समीक्षाएं आयोजित की थी। ये समीक्षाएं यह दर्शाती हैं कि जुलाई, 2009 से रोजगार में उहर्वमुखी रूख बनाए रखा गया है। (बॉक्स 13.1)

चित्र 13.1: वर्ष के दौरान बेरोजगारी की दर

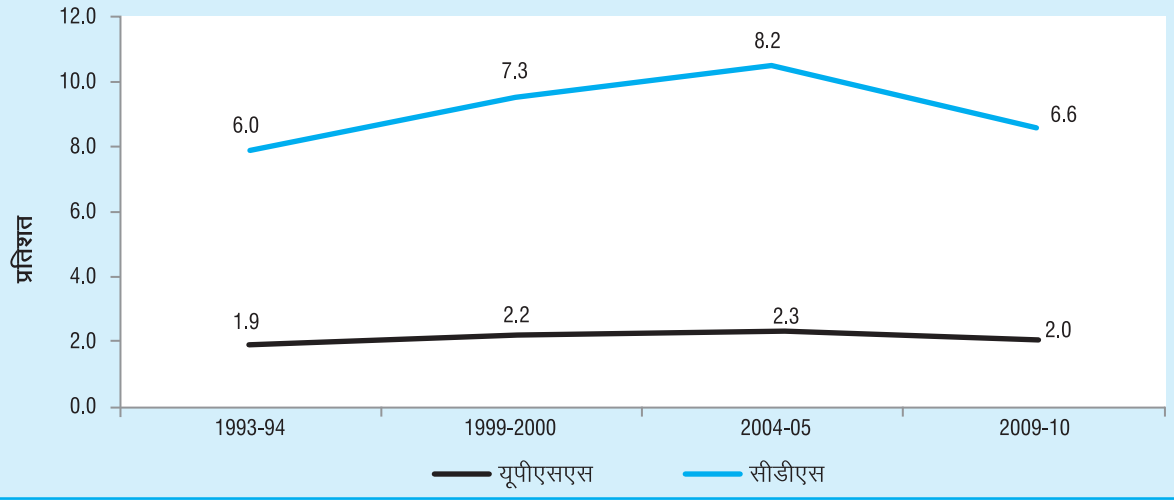

स्रोत: रोजगार 2011 पर लोगों की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

सारणी 13.9 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में समग्र रोजगार

क्षेत्र	31 मार्च की स्थिति के अनुसार रोजगार (लाख में)			प्रतिशत परिवर्तन 2010/2009	प्रतिशत परिवर्तन 2011/2010
	2009	2010	2011		
सरकारी	177.95	178.62	175.48	0.4	-1.8
निजी	103.77	108.46	114.52	4.5	5.6
कुल	**281.72**	**287.08**	**289.99**	**1.9**	**1.0**
महिला	55.80	58.59	59.54		

स्रोत: वार्षिक रोजगार समीक्षा, 2011 (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय)।
टिप्पणी: 1) सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दादरा व नागर हवेली और लक्षद्वीप को छोड़कर
2) जम्मू कश्मीर, मणिपुर और दमन एवं द्वीव के संदर्भ में राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी)-19.98 के अनुसार आंकड़े में समावेशन-भिन्न के कारण सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और कुल जोड़ के साथ उद्योग-वार ब्रेक-अप मेल न खाएं

बॉक्स 13.1 : अप्रैल से जुन, 2012 तक भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव के संबंध में पन्द्रहवें त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट

चयनित क्षेत्रों अर्थात् सहित चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/कार्य प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) तथा हथकरघा/पावरलूम, के परिणाम निम्न लिखित हैं:-

- जून, 2012 मे समग्र रोजगार जून, 2011 से 6.94 बढ़ा है इस अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी/कार्य प्रक्रिया आउट सोर्सिंग क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है (4.44 लाख), पहनने के परिधानों सहित वस्तु में 1.70 लाख, परिवहन में 0.45 लाख, धातु में 0.26 लाख, रत्न और आभूषण में 0.19 लाख और ऑटोमोबाइल से कर में 0.11 लाख दर्ज की गई है। दूसरी ओर, इस अवधि के दौरान हथकरघा/पावरलूम और चर्म उद्योग में मामूली गिरावट आई है।
- निर्यातोन्मुखी ईकाईयों में, समग्र स्तर पर रोजगार 5.81 लाख तक बढ़ी है जबकि गैर-निर्यातित ईकाईयों में इस अवधि के दौरान इस जून, 2012 में जून, 2011 के मुकाबले 1.10 लाख तक की वृद्धि हुई है।
- मार्च से जून, 2012 की तिमाही के दौरान केवल पहनने के परिधानों सहित वस्तु के संबंध में रोजगार बढ़ा है। इसके बाद आईटी/बीपीओ और रत्न और आभूषण आता है। चर्म, परिवहन और हथकरघा/पावरलूम सेन्टर के क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई जबकि धातु और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इस तिमाही के दौरान, समग्र रोजगार में 0.73 लाख की बढ़ोतरी हुई है।
- पंद्रहवें त्रैमासिक समीक्षा के परिणाम यह इंगित करता है कि पिछले ग्यारह तिमाहियों के दौरान समग्र स्तर पर कवर किए गए क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि सतत् एवं अनवरत रहा है जिसमें इस रिकवरी अवधि के दौरान कुल 30.73 लाख अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया है।

स्रोत : राज्यों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और अंतर-राज्य तुलनाएं

सारणी 13.8 : भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और अंतर-राज्य तुलना

क्रम सं.	सामाजिक आर्थिक संकेतक/मदें	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात
1	जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या (अनंतिम) *				
	जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि (2001-11)	11.10	16.93	25.07	19.17
	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या)	992	954	916	918
2	स्थिर कीमतों में वृद्धि 2004-5				
	(14 अगस्त 2012 की स्थिति के अनुसार) #				
	जीएसडीपी वृद्धि 2011-12	6.72	8.42	16.71	8.20
	जीएसडीपी वृद्धि 2005-6 से 2011-12	8.90	6.05	10.17	9.98
	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2011-12	5.75	7.24	15.44	8.65^
3	गरीबी व्यक्ति गणना अनुपात (प्रतिशत)***				
	2009-10 (ग्रामीण)	22.8	39.9	55.3	26.7
	2009-10 (शहरी)	17.7	26.1	39.4	17.9
	2009-10(कुल)	21.1	37.9	53.5	23.0
	2004-5 (ग्रामीण)	32.3	36.4	55.7	39.1
	2004-5 (शहरी)	23.4	21.8	43.7	20.1
	2004-5 (कुल)	29.9	34.4	54.4	31.8
4	ग्रामीण शहरी असमानता 2009-10##				
	औसत एमपीसीई (ग्रामीण) (रु॰)	1234	1003	780	1110
	भोजन का प्रशित (शहरी)	58.1	64.4	64.7	57.7
	औसत एमपीसीई (ग्रामीण) (रु॰)	2238	1755	1238	1909
	भोजन का प्रशित (शहरी)	44.8	52.9	52.9	46.2
5	रोजगार दर 2009-10 (प्रति हजार)				
	सामान्य स्थिति के अनुसार (समायोजित) ##				
	ग्रामीण	12	39	20	8
	शहरी	31	52	73	18
6	स्वास्थ्य संबद्ध				
	पुरुष (जन्म दर पर जीवन प्रत्याशा 2006-10)$	63.5	61.0	65.5	64.9
	महिला (जन्म दर पर जीवन प्रत्याशा 2006-10)$	68.2	63.2	66.2	69.0
	शिशु मृत्यु दरें (प्रति हजार जीवित जन्म) 2011*	43	55	44	41
	जन्म दर (प्रति हजार) 2011 *	17.5	22.8	27.7	21.3
	मृत्यु दर (प्रति हजार) 2011*	7.5	8.0	6.7	6.7
7	शिक्षा संबद्ध 2010-11 $$				
	जीईआर (6-13 वर्ष)	92.0	84.0	102.9	107.2
	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक जूनियर बेसिक स्कूल)	31	28	76	उ.न.
	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (माध्यमिक सीनियर बेसिक स्कूल)	25	21	51	35
8	वित्तीय समावेशण (प्रतिशत में)				
	बैंक शाखाओं का दशकीय वृद्धि दर	35.4	16.5	14.4	25.3
	2011 में परिवारों को उपलब्ध बैंकिंग सेवाएं	53.0	44.1	44.4	57.9
9	मुख्य समाजिक क्षेत्र कार्यक्रम				
	एनआरएचएम के अंतर्गत 24 x 7 पीएचसी, अतिरिक्त पीएचसी, सीएचसी और अन्य	1183	548	612	437
	अन्य उप-जिले सुविधाएं $				
	महात्मा गांधी नरेगा	58	26	38	38
	2011-12 के अंतर्गत प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस				
	महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2011-12 के दौरान रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत शेयर	57.79	24.87	28.82	46.54
	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 2011-12 के दौरान निर्मित मकानों की (संख्या) @	249013	143770	469885	111999
	आईएवाई के अंतर्गत 2011-12 के दौरान कुल निर्मित मकानों का प्रतिशत शेयर	10.08	5.82	19.01	4.53

स्रोत: * भारत के महापंजीयक का कार्यालय;
*** योजना आयोग; $ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय;
$$ मानव संसाधन विकास मंत्रालय; # सीएसओ;
एनएसएस (66 वां दौर); उ.न.: उपलब्ध नहीं;
MMRP संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि
@ मानव संसाधन विकास का डीएमयू/एमपीआर और जस्टिस के.एस. हेगड़े संस्थान द्वारा वित्तीय समावेशण पर अध्ययन;
^ वर्ष 2010-11 के दौरान गुजरात में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि दर में पुनरावृत्ति है।

हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडीशा	पंजाब	राजस्थान	तमिल नाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	समस्त भारत
19.90	12.81	15.67	4.86	20.30	15.99	13.97	13.73	21.44	15.60	20.09	13.93	**17.64**
877	974	968	1,084	930	925	978	893	926	995	908	947	**940**
7.88	7.59	7.52	7.80	11.98	8.54	7.18	5.68	5.41	7.37	6.04	6.55	**6.48**
9.39	8.29	8.37	8.31	8.77	9.97	8.52	7.11	7.78	9.68	7.04	6.94	**8.34**
6.18	5.76	6.69	7.13	10.48	8.73	4.64	4.24	3.72	6.72	4.17	5.67	**5.16**
18.6	9.1	26.1	12.0	42.0	29.5	39.2	14.6	26.4	21.2	39.4	28.8	**33.8**
23.0	12.6	19.6	12.1	22.9	18.3	25.9	18.1	19.9	12.8	31.7	22.0	**20.9**
20.1	9.5	23.6	12.0	36.7	24.5	37.0	15.9	24.8	17.1	37.7	26.7	**29.8**
24.8	25.0	37.5	20.2	53.6	47.9	60.8	22.1	35.8	37.5	42.7	38.2	**41.8**
22.4	4.6	25.9	18.4	35.1	25.6	37.6	18.7	29.7	19.7	34.1	24.4	**25.7**
24.1	22.9	33.4	19.6	48.6	38.2	57.2	20.9	34.4	29.4	40.9	34.2	**37.2**
1510	1536	1020	1835	903	1153	818	1649	1179	1160	899	952	**1054**
54.0	NA	56.5	45.9	55.8	54.0	61.9	48.2	54.8	54.7	57.9	63.5	**57.0**
2321	2654	2053	2413	1666	2437	1548	2109	1663	1948	1574	1965	**1984**
43.1	NA	42.3	40.2	41.7	41.0	48.4	44.3	48.0	45.0	46.3	46.2	**44.4**
18	16	5	75	7	6	30	26	4	15	10	19	**16**
25	49	27	73	29	32	42	48	22	32	29	40	**34**
67.0	67.7	64.9	71.5	61.1	67.9	62.2	67.4	64.7	67.1	61.8	67.4	**64.6**
69.5	72.4	69.7	76.9	63.8	71.9	63.9	71.6	68.3	70.9	63.7	71.0	**67.7**
44	38	35	12	59	25	57	30	52	22	57	32	**44**
21.8	16.5	18.8	15.2	26.9	16.7	20.1	16.2	26.2	15.9	27.8	16.3	**21.8**
6.5	6.7	7.1	7.0	8.2	6.3	8.5	6.8	6.7	7.4	7.9	6.2	**7.1**
90.5	111.0	99.3	96.2	122.6	100.0	104.8	103.1	99.3	112.0	109.5	90.1	**104.3**
51	15	17	23	38	29	33	26	46	27	79	45	**43**
38	14	27	25	39	32	26	15	26	32	69	49	**33**
59.5	29.2	28.5	30.6	21.2	28.1	27.9	39.8	25.5	31.3	26.9	18.4	**28.8**
68.1	89.1	61.1	74.2	46.6	68.9	45.0	65.2	68.0	52.5	72.0	48.8	**58.7**
407	156	1332	660	651	645	394	407	1500	1844	903	596	**13835**
39	53	42	45	43	50	33	26	47	48	36	27	**43**
36.44	59.48	45.71	92.76	42.48	45.95	38.60	43.17	69.20	73.36	16.98	32.46	**47.98**
17282	6019	26965	54499	98447	141479	141398	16622	125642	91631	307012	186224	**2471421**
0.70	0.24	1.09	2.21	3.98	5.72	5.72	0.67	5.08	3.71	12.42	7.54	**100.00**

राज्य की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और अंतर राज्य तुलनाएं

मानव विकास: अंतर राज्य तुलनाएं

13.20 समावेशी विकास का उद्देश्य अंतर-राज्य और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी है। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसूचकों के आधार पर चयनित राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास की अंतर-राज्य तुलनाएं (सारणी 13.9) कुछ दिलचस्प परिणाम दर्शाती है।

जनसंख्या संबंधी

- बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर (25.07 प्रतिशत) दशक (2001-11) की सबसे अधिक रही जबकि केरल का निम्नतम दर (4.86) रही। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछेक बड़े राज्यों और उत्तर प्रदेश में भी दशक में जनसंख्या वृद्धि उच्च रही।
- वर्ष 2011 में केरल का 1084 महिला प्रति 1000 पुरूष के चलते सबसे अधिक लिंग अनुपात रहा जिसके बाद तमिलनाडु (995) का स्थान आता है जबकि हरियाणा सबसे नीचे (877) था। दिलचस्प रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ विकसित राज्यों में भी लिंग अनुपात भी क्रमश: 918 और 925 पर कम था।

वृद्धि संबंधी

- वर्ष 2011-12 के दौरान विकास के संदर्भ में बिहार (16.71 प्रतिशत) का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रहे। इन राज्यों की वृद्धि, अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक रही। सबसे खराब प्रदर्शन राजस्थान (5.41 प्रतिशत) का रहा जिसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश रहे। 2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान उच्चतम वृद्धि दर वाला राज्य बिहार (10.17 प्रतिशत) का रहा जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र रहे।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के संदर्भ में, बिहार (15.44 प्रतिशत) का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा जिसके बाद 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उच्च वृद्धि और जनसंख्या में उच्च दशकीय वृद्धि के बावजूद मध्य प्रदेश और महाराष्ट का अच्छा प्रदर्शन रहा। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में राजस्थान (3.72 प्रतिशत) का सबसे कम रहा जिसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा रहे जिनमें अरिवल भारतीय प्रति व्यक्ति आय कम रहे।

गरीबी

- गरीबी का आकलन यह दर्शाते हैं कि 29.8 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अधिकतम गरीबी मानव संख्या अनुपात (एचसीआर) बिहार 53.5 प्रतिशत में विद्यमान है। 2004-05 के मुकाबले 2009-10 में, बिहार ने उड़ीसा को सबसे गरीब राज्य के तौर पर रखा है जहां 2009-10 में उड़ीसा की स्थिति लगातार सुधार हो रहा है। सबसे कम गरीबी हिमाचल प्रदेश (9.5 प्रतिशत) में रहा जिसके बाद केरल (12 प्रतिशत) का स्थान है।

ग्रामीण-शहरी असमानता

* बिहार में क्रमश: 780 रुपए (भोजन की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत) और 1238 रुपए (भोजन की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों मे एमपीसीई सबसे कम रहा है। इसके मुकाबले, केरल क्रमश: 1835 रुपए (भोजन की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत) और 2413 (40 प्रतिशत खाद्य हिस्सा सहित) ग्रामीण एवं शहरी दोनों में सबसे अधिक रहा। यह स्पष्ट है कि गरीब राज्यों में कुल उपभोग व्यय में भोजन पर आय के अधिक अंश व्यय किए जाते हैं।

बेरोजगारी

- एनएसएस के 66वां दौर, 2009-10 के सामान्य स्थिति (समायोजित) के अनुसार, मुख्य राज्यों में बेरोजगारी दर गुजरात (18) का सबसे बड़ा और केरल (73) में सबसे अधिक रहा और शहरी क्षेत्रों में बिहार (73) और राजस्थान (4) में सबसे कम रहा और फिर से केरल (75) के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रहा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कम बेरोजगारी दर, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) निधियों के उच्च आमेलन के कारण आंशिक तौर पर हो सकता है। केरल जो कि ज्यादातर संकेतों में अच्छा प्रदर्शन किया है ने बेरोजगारी (ग्रामीण एवं शहरी दोनों में) के संदर्भ में कम प्रदर्शन रहा है। यह मुख्यत: केरल में शिक्षा के उच्च स्तर के कारण हो सकता है जो कि श्रम प्रधान रोजगारों के न लेने के परिणामस्वरूप हो सकता है जैसा कि कुछ अध्ययनों में गौर किया गया है।

स्वास्थ्य

- वर्ष 2006-10 के दौरान जन्म जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में पुरुष (71.5 वर्ष) और महिला (76.9 वर्ष) दोनों में केरल का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है जबकि पुरुष (61 वर्ष) और महिला (63.2 वर्ष) दोनों में असम का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 2011 में शिशु मृत्यु पर (आईएमआर) केरल (12) में सबसे कम और 44 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहा। केरल (15.2) में जन्म दर सबसे कम रहा और 21.8 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश (27.8) में सबसे अधिक रहा। पश्चिम बंगाल (6.2) में मृत्यु पर सबसे कम रहा और उड़ीसा (8.5) में 7.1 राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सबसे अधिक रहा।

शिक्षा

- वर्ष 2010-11 में मध्य प्रदेश में अधिकतम सकल पंजीकरण अनुपात (जीईआर) (6-13 वर्ष) रहा जबकि असम में सबसे कम रहा। प्राथमिक और माध्यमिक/बुनियादी विद्यालयों में शिष्य-अध्यापक अनुपात हिमाचल प्रदेश में सबसे कम रहा जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अधिक रहा।

वित्तीय समावेशन

- बैंक शाखाओं में हुए दशकीय वृद्धि दर के संदर्भ में, हरियाणा (59.5 प्रतिशत) में सबसे अधिक वृद्धि हुई है जबकि बिहार में (14.4) प्रतिशत सबसे कम वृद्धि हुई है। असम में (16.5 प्रतिशत) जैसे पूर्वोत्तर राज्य में भी बिहार के मुकाबले बेहतर है। हिमाचल प्रदेश (89.1 प्रतिशत) में बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने वाले परिवारों की सबसे अधिक प्रतिशतता है जबकि असम (44.1 प्रतिशत) में सबसे कम है जिसके बाद बिहार (44.4 प्रतिशत) का स्थान है। इस प्रकार, इन दोनों वित्तीय समावेशन संकेतों के संदर्भ में, बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है।

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

- जबकि कुछ सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार संकेतक हैं, यह संभव नहीं है कि सिर्फ नंबरों के आधार पर राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाये। 2011-12 में मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस आंध्र प्रदेश (58 दिन) में सबसे ज्यादा हैं, इसके बाद हिमाचल प्रदेश (53 दिन) हैं तथा 43 दिनों की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले असम और पंजाब (दोनों में 26 दिन) दोनों में सबसे कम हैं। जबकि मनरेगा के अंतर्गत महिला रोजगार का हिस्सा केरल में (92.76 प्रतिशत) सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु (73.36 प्रतिशत) तथा यह उत्तर प्रदेश (16. 98 प्रतिशत) में सबसे कम है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी का निर्धारण बनाए रखा गया है, परंतु उत्तर प्रदेश असम तथा बिहार जैसे राज्यों में, यह निर्धारित स्तर से कम रहा है।

- एनआरएचएम के अंतर्गत 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) अतिरिक्त पीएचसी, सीएचसी तथा असम उप जिला स्वास्थ्य केन्द्रों के संदर्भ में प्रगति तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तथा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम रही है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत बिहार का सबसे ज्यादा हिस्सा है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है जबकि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा सबसे कम है।

13.21 विभिन्न संकतेकों के आधार पर राज्यों के निष्पादन की अंतर-राज्य तुलना यह दर्शाती कि कुछ राज्यों ने वृद्धि संकेतकों के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया है, परन्तु उन्होंने अन्य संकेतकों जैसे मानव विकास संकेतक, गरीबी, ग्रामीण-शहरी असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा तथा वित्तीय समावेश, के संदर्भ में घटिया प्रदर्शन किया है। यह वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों की दी जाने वाली निधियों के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किए गए मानदंडों पर पुनर्विचार की मांग करता है जहां आय अंतर (12वां वित्त आयोग) अथवा राजकोषीय क्षमता अंतर (13वां वित्त आयोग) जैसे मानदंडों को जनसंख्या सहित उच्च भारांश दिया जाता है तथा कोई भी मानव विकास संकेतक अथवा वित्तीय अध्यादेश संकेतक प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार, राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों (पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व और अन्य जनजातीय जनसंख्या का विस्तृत हिस्सा, पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति, आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक पिछड़ापन तथा राज्य वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति) पर पुनः विचार करने की जरूरत है।

गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम

13.22 सरकार समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन के क्षेत्रों में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए संकेन्द्रित पहुंच अपना रही है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए 2002 में संचालित की गई प्रक्रिया में कई प्रतिबंध थे, इसलिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की गणना करने के लिए विधि तंत्र पर सुझाव देते हेतु एसएनसी सक्सेना समिति गठित की गई थी। फलस्वरूप, देश में घर-घर जाकर आकलन करने के जरिए जून, 2011 में सामाजिक आर्थिक तथा जाति गणना प्रारंभ की गई जो काफी विचार-विमर्श के बाद विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यगत लाभार्थियों का आधार बनेगी। (बॉक्स 13.2)

13.23 कुछ महत्वपूर्ण गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

महात्मा गांधी नरेगा: भारत सरकार के इस फ्लैगशिप कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी के साथ उस प्रत्येक परिवार को, जिसके प्रौढ़ सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल का शरारिक कार्य करना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिवसों की गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। मनरेगा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है तथा उन कार्यों के जरिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान देता है जो सुरक्षा, वन विनाश, तथा मृदा क्षरण जैसे चिरकालिक गरीबी के कारणों को दूर करते हैं और सतत् विकास को बढ़ावा देते हैं। मनेरगा ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी जिलों में कार्यन्वित किया जाता है। 2012-13 के लिए अनुमोदित 33,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 25,894. 03 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं तथा 10,009.09 करोड़ रुपए के प्रारंभिक शेष सहित राज्यों के पास उपलब्ध कुल निधि

बॉक्स 13.2: सामाजिक आर्थिक तथा जाति गणना (एसईसीसी)

किसी भी लक्ष्यगत पहुंच के लिए, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। इस पहुंच के अनुरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में वीपीएल गणना विधितंत्र पर सुझाव देने हेतु डा. एन.सी. सक्सेना समिति गठित की गई थी। जून 2011 में, पहली बार ग्रामीण तथा शहरी भारत में व्यापक घर-घर जाकर आकलन करने के जरिए, सामाजिक आर्थिक तथा जाति गणना (एसईसीसी) के माध्यम से विभिन्न जातियों और वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षणिक स्थिति पर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। यह प्रक्रिया सही लाभार्थियों हेतु लक्ष्यगत सरकारी योजनाओं की अच्छी तरह से मदद करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र लाभार्थी कवर किए गए हैं जबकि सभी अपात्र लाभार्थियों को छोड़ दिया गया है। सबसे अधिक वंचित पाए गए परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सबसे अधिक समावेशी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। विभिन्न लाभदायिक सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में आधार संख्या का प्रयोग द्वैधता को रोकेगा।

एसईसीसी 2011 भारत सरकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के साथ संबंधित राज्यों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक साथ आयोजित की जा रही है। मूल्यांकन 6 लाख मूल्यांककों द्वारा किया जाएगा जिनकी सहायता इतने ही तकनीकी रूप से योग्य तथा कंप्यूटर साक्षर डाटा प्रविष्ट प्रचालकों (डीईओ) द्वारा की जाएगी, और इनका चयन देश की प्रमुख आई टी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के पंजीयक के कार्यालय (आरजीआई) तथा राज्यों के साथ मूल्यांककों, पर्यवेक्षकों, सत्यापनकर्ताओं तथा गणना प्रक्रिया में रत राज्यों कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। एसईसीसी प्रक्रिया ने पारदर्शिता तथा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। परिणामों को अंतिम रूप देने से पहले, परिवार के आंकड़े, जाति संबंधी आंकड़ों के अलावा, छानबीन के लिए लोगों के बीच रखे जाएंगे तथा 'दावों और आपत्तियों' की अवस्था में दो स्तरीय अपील पद्धतियों से गुजरेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम सभा भी विशेष रूप से आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से आंकड़ों की छानबीन करेगी।

एसईसीसी 2011 के अंतर्गत मूल्यांकन 2,339,926 मूल्य के खंडों में पूरा कर लिया गया है जिसमें 31 दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों के कुल मूल्यांकन खंडों का 94.26 प्रतिशत शामिल है। सरकार ने प्रो. अभिजीत सेन, खाद्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ताकि एसईसीसी संकेतकों तथा आंकड़ों से विश्लेषण की जांच की जा सके तथा विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलापों के लिए लाभार्थियों के वर्ग निर्धारित करने हेतु उपयुक्त विधि तंत्रों की सिफारिश भी की है। सरकार इन विधि तंत्रों को अपनाते समय राज्यों, विशेषज्ञों तथा नागरिक समिति संगठनों के विचार-विमर्श करेगी।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

41,788.74 करोड़ रुपए है। इसमें से 28,073.51 करोड़ रुपए उपयोग कर लिए गए हैं (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार तथा लगभग 4.39 करोड़ परिवारों को 156.01 करोड़ व्यक्ति दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है जिसमें से 82.85 करोड़ (53 प्रतिशत) का लाभ महिलाओं ने उठाया है, 34.56 करोड़ (22 प्रतिशत) का लाभ अनुसूचित जातियों तथा 24.90 करोड़ (16 प्रतिशत) का लाभ अनुसूचित जनजातियों ने उठाया है। राष्ट्रीय सतह पर, मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई औसत मजदूरी वित्तीय वर्ष 2006-07 में 65 रुपए से वित्तीय वर्ष 2011-12 में 115 रुपए तक बढ़ी है, कृषि मजदूर की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ी है और निजी क्षेत्र की मजदूरी भी बढ़ी है जैसाकि बहुत से अध्ययनों में दर्शाया गया है (मनरेगा समीक्षा 2012 देंखे)। उन्नत आर्थिक परिणाम, विशेषरूप से जल संभरण गतिविधियों में, तथा व्यय के कारण स्थानांतरण में कमी इसकी अन्य उपलब्धियां है। मनरेगा के अंतर्गत कृषि मजदूर के लिए मजदूरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (पीपीआई-एएल) तक सूचकांकित हैं। परियोजना डिजाइन को बेहतर योजना बनाने के लिए हाल ही में कुछ पहलें की गई हैं (बॉक्स 13.3), पंचायती राजसंस्थाओं के क्षमता निर्माण, वर्धित नियोजनीयता के लिए कौशल उन्नयन, तथा लेनदेन लागतों में कमी, कार्यान्वयन में अंतराल काफी हद तक ले जाए जा सकते हैं तथा इस प्रकार सृजित परिसंपत्तियां बढ़ती हुई भूमि उत्पादकता में काफी योगदान कर सकती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएफ) अजीविका: स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/एनआरएलएम एक स्वरोजगार कार्यक्रमों जो अप्रैल 1999 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी दोनों के जरिए उनको आय-सर्जन परिसंपत्तियां प्रदान करके गरीब रेखा से ऊपर उठाना है। ग्रामीण गरीब स्वयं सहायता समूहों में संगठित हैं

बॉक्स 13.3 : मनरेगा के अंतर्गत वर्तमान मुख्य पहल

- अनुमत गतिविधियों की मात्रा को विस्तारित किया गया है ताकि इन्हें सार्थक बनाया जा सके।
- मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम करने के लिए सभी राज्यों में चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रानिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) प्रारंभ की गई है।
- अधिसूचित सूखा-प्रभावित तालुकों/ब्लाकों में प्रति परिवार 100 दिनों से ज्यादा का अतिरिक्त रोजगार अब अनुमत्य है।
- मनरेगा कामगारों के रिकार्ड में त्रुटि को रोकने के लिए आधार को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है।
- पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के साथ मनरेगा का अभिसरण किया गया है।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

तथा उनकी क्षमताएं प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिए निर्मित है। यह योजना पंचायती राजसंस्थाओं के सक्रिय योगदान से कार्यान्वित की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रारंभ से 42.05 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुल निवेश 42,168.42 करोड़ रु० है जिसमें से 28,824.53 करोड़ रु० ऋण के रूप में तथा 13,343.89 करोड़ रु० सब्सिडी के रूप में हैं। बैंक ऋण तथा सब्सिडी से लगभग 168.48 लाख स्वरोजगारियों ने सहायता प्राप्त की है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को अब एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठित किया गया है और उसका नाम पुन: आजीविका रखा गया है तथा वह 2011 से देश में मिशन मॉड में कार्यान्वित हैं। आजीविका की मुख्य विशेषताएं हैं: (क) प्रत्येक पहचाने गए ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लायी जाएगी, (ख) बीपीएल परिवारों के 100 प्रतिशत कवरेज के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति से 50 प्रतिशत लाभार्थियों, अल्पसंख्यक से 15 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों से 3 प्रतिशत लाभार्थियों को सुनिश्चित करना, (ग) क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, (घ) परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी सुनिश्चित करना; (ङ) वित्तीय समावेश (च) ब्याज सब्सिडी का प्रावधान (छ) पिछड़े और अगड़े का संपर्क, तथा (ज) नवीनता का संवर्धन।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना स्वरोजगार उद्यम की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार के अवसरों को सृजित करने को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों और अल्परोजगार वालों के लिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए 1 दिसम्बर, 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। अप्रैल, 2009 से इसमें आमूल-चल परिवर्तन भी किया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान 838 करोड़ रुपए है तथा 7 फरवरी, 2013 तक 516.77 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 2012-13 में योजना के अंतर्गत कुल 4,06,947 लाभार्थियों लोगों को सहायता प्रदान की गई है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

13.24 असंगठित क्षेत्र में कामगारों को न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए समाजिक सुरक्षा स्कीमों की व्याप्ति बढ़ाई गई है। ऐसी स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई): समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जीवन बीमा कवर का बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए जयश्री बीमा योजना (जेबीवाई) अब आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के साथ मिला दी गई है। योजना 18 से 59 वर्षों की आयु के बीच के उन व्यक्तियों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करती है जो 47 पहचाने गए व्यावसायिक/पेशेवर समूहों जिनमें 'ग्रामीण भूमिहीन परिवार' शामिल हैं, के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे अथवा उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं। यह प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रु० दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000 रु०, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 37,500 रु०, दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 75,000 रु० का बीमा कवर प्रदान करती हैं। योजना प्रति सदस्य कक्षा 9 से 12 तक में (आईटीआई कार्यक्रमों सहित) अध्ययन करने वाले अधिकतम दो बच्चों को अर्ध वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाली प्रति बालक 100 रु० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम प्रति लाभार्थी 200 रु० है। जिसमें से 50 प्रतिशत का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि में से किया जाता है। शेष 50 प्रतिशत का अंशदान लाभार्थी/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। दिसम्बर, 2012 तक जेबीवाई के अंतर्गत 289.94 लाख व्यक्ति तथा एएबीवाई के अंतर्गत 178.67 लाख व्यक्ति कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई): यह योजना असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को परिवार उत्प्लावक आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का स्मार्ट-कार्ड-आधारित धनरहित (कैशलैस) स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है और प्रीमियम को 75 : 25 आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बांटा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में, प्रीमियम को 90 : 10 के अनुपात में बांटा जाता है। योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्ड मूल्य को विभाजित करके स्मार्ट कार्डों को सुवाह्यता को उपलब्ध कराती है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, योजना 3.34 करोड़ से ज्यादा समार्ट कार्डों को जारी करने के साथ 27 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि: अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का उपबंध करता है जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अगस्त, 2009 में गठित किया गया था। इसने असंगठित श्रमिकों के कुछ अतिरिक्त वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रदान करने के बारे में कुछ सिफारिशें की है। 1000 करोड़ रु० के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है जो बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी बनाने वालों आदि के लिए योजनाओं की सहायता करेगी।

सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए): भारतीय शेयरों तथा विदेशों में कार्यरत स्व-नियोजित भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक द्विपक्षीय दस्तावेज, एसएसए, 3 नवम्बर, 2006 को भारत और बेल्जियम के बीच रख-रखाव पर हस्ताक्षर करने के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अभी तक भारत ने बेल्जियम, जर्मनी, स्विटज़रलैंड,

फ्रांस, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, हंगरी, डेनमार्क, चैक गणतंत्र, कोरिया गणतंत्र, नार्वे, फिनलैण्ड, कनाडा, स्वीडन तथा जापान के साथ 15 एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एसएसए दो देशों के बीच पेशेवरों की गतिशीलता को, उनके सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के दोहरे भुगतान से छूट देकर सुविधाजनक बनाते हैं तथा उनको निर्भतता तथा पूर्ण योग के लाभों को फायदा उठाने में सक्षम बनाते हैं।

ग्रामीण अवसंरचना तथा विकास

13.25 ग्रामीण शहरी एकीकरण की उच्च मात्रा तथा समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए विकास और अवसरों का समान पैटर्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना और विकास कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

भारत निर्माण:– ग्रामीण भारत में मूलभूत सुविधाएं तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 2005-06 के प्रारंभ किए गए भारत निर्माण के छ: घटक हैं : सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतिकरण तथा दूरसंचार संपर्क।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) : आइएवाई भारत निर्माण के छ: घटकों में से एक है। 2012-13 के दौरान 30.10 लाख मकानों के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 25.35 लाख मकान स्वीकृत किए गए थे तथा 31 दिसम्बर, 2012 तक 13.88 लाख का निर्माण किया जा चुका था। आईएवाई के अंतर्गत निवास इकाई के निर्माण के लिए ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध करायी गई इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 45,000 से 70,000 तक तथा पर्वत/दुर्गम क्षेत्रों/समेकित कार्रवाई योजना (आईएपी) संबंधी जिलों में 48,500 रु॰ से 75,000 रु॰ तक 1 अप्रैल, 2013 से संशोधित की जा रही है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बयासी जिले 48,500 रु॰ से 75,000 रु॰ तक (1.4.2012 से) इकाई सहायता की आय दर के लिए पात्र बनाए गए हैं। इस योजना के प्रारंभ से 31 दिसम्बर, 2012 तक, 301 लाख मकान निर्मित किए गए हैं। होमस्टीड योजना के अंतर्गत, उन ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए जिनके पास न जमीन है और न ही मकान का स्थान है, मकान के स्थानों की खरीद/अधिप्राप्ति के लिए इकाई सहायता 1 अप्रैल, 2013 से 10,000 रु॰ से 20,000 रु॰ तक बढ़ा दी जाएगी। जिसे 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। होमस्टीड योजना के प्रारंभ से, भूमि की खरीद के लिए 347.46 करोड़ रु॰ तथा होमस्टीड स्थलों को उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त मकानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1395.06 करोड़ रु॰ राज्यों को जारी किए गए हैं। आईएवाई की प्रभावी मानीटरिंग के लिए, एमआईएस साफ्टवेयर 'आवासॉफ्ट' स्थापित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): पीएमजीएसवाई दिसम्बर, 2000 में पूर्ण रूप से वित्त पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गयी थी और जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों अथवा ज्यादा (2011 की जनगणना के अनुसार) तथा पहाड़ी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों, मरूस्थलीय क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों अथवा ज्यादा की आबादी वाले मुख्य नेटवर्क में पात्र संपर्कहीन व्यक्तियों के लिए तथा आईएपी के अंतर्गत 82 चयनित जनजातीय तथा पिछले जिलों के लिए संपर्क उपलब्ध कराना है। प्रारंभ से 1,26,176 बस्तियों को जोड़ने के लिए कुल लगभग 4,74,528 कि.मी. की परियोजनाएं 1,42,946 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत के साथ क्लीयर की गई हैं जिसमें उन्नयन भी शामिल हैं। 1,02,658 करोड़ रु॰ की राशि राज्यों को जारी की गई थी तथा दिसम्बर, 2012 तक लगभग 96,939 करोड़ रु॰ खर्च किए गए थे। कुल 3,63,652 कि.मी. लम्बी सड़क पूरी की गई है तथा राज्यों द्वारा 89,382 से अधिक बस्तियों को नया संपर्क प्रदान किया गया है। लगभग 1,07,739 कि.मी. लम्बी सड़क पर कार्य चल रहा है।

ग्रामीण पेयजल: लगभग 73.91 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के अंतर्गत पूरी तरह से कवर की गई है जैसाकि सुरक्षित पेयजल के कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के प्रावधान के साथ बस्तियों के आधार पर मापा गया है। शेष मांगे आंशिक रूप से कवर की गई हैं अथवा उनके पेयजलों के संसाधनों में रासायनिक संदूषण है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर की जाने वाली 7,98,967 बस्तियों के लक्ष्य के मुकाबले, 31 मार्च, 2012 तक कवरेज 6,65,052 (83.23 प्रतिशत) था। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का वित्तीय परिव्यय भारत निर्माण के अंतर्गत 2005-06 में 4,098 करोड़ रु॰ से 2012-13 में 10,500 करोड़ रु॰ तक काफी मात्रा में बढ़ा है। सभी कवर न की गई बस्तियां 1 अप्रैल, 2012 को कवर किए जाने की सूचना है। जनगणना 2011 ने सूचित किया है कि 82 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के नल के पानी, हैंडपंप, तथा कवर किए गए कुंओं जो मुख्य संसाधन है, सहित उन्नत पेयजल संसाधन हैं। अत: शेष अतिरिक्त संसाधनों वाले 15.8 ग्रामीण परिवारों तथा 22.1 प्रतिशत उन ग्रामीण परिवारों जो 500 मीटर से दूर जाकर पानी लाते हैं, के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना मुख्य चुनौती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, मुख्य ध्यान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक सर्विस लेवल बढ़ाने तथा पाइपवाली जलापूर्ति योजनाओं तथा परिवार के जल कनैक्शनों के जरिए पेयजल के प्रावधान पर है।

ग्रामीण स्वच्छता–संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी): जनगणना 2011 के अनुसार, केवल 32.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय सुविधाएं हैं। पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) जिसका पुन: नाकरण 'निर्मल भारत अभियान (एनपीए)' किया गया है, का उद्देश्य सामुदायिक संतुष्टि दृष्टिकोण अपना कर ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तित करना तथा 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत स्वच्छता प्राप्त करना है। एमबीए परियोजनाएं 22,672 करोड़ रु॰ के कुल परिव्यय के साथ 607 ग्रामीण जिलों में स्वीकृत की गई हैं। जिमें केन्द्र का हिस्सा 14,888 करोड़ रु॰ है। एनबीए के लिए आवंटन 2011-12 में 1500 करोड़ रु॰ से बढ़ाकर 2012-13 में 2500 करोड़ रु॰ कर दिया गया है।

एनबीए के अंतर्गत, प्रत्येक परिवार की शौचालय इकाईयों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान विस्तृत किया गया है ताकि उन सभी गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों को कवर किया किया जा सके जो अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सीमंत किसानों, होमस्टीड वाले भूमिहीन श्रमिकों, विकलांगों और बीपीएल परिवार सहित महिला मुखिया के परिवारों से संबंधित हैं। 1999 से, टीएससी/एनबीए के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 8.97 करोड़ से ज्यादा शौचालय प्रदान किए गए हैं। कुल 12.57 लाख स्कूल शौचालय इकाईयों तथा 4.24 लाख आंगनवाड़ी शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़ते हुए बजटीय आवंटनों तथा उन पर ध्यान देने के साथ, उन परिवारों की संख्या 2012-13 में 5.96 लाख से 2011-12 में 88 लाख तक बढ़ गई है जिन्हें हर साल शौचालय प्रदान किए जा रहे है। वर्ष 2012-13 (नवम्बर, 2012 तक) में ग्रामीण परिवारों को 27 लाख से ज्यादा शौचालय प्रदान किए गए हैं। पिछले सात वर्षों में कुल 28,002 ग्राम पंचायतों, 181 मध्यवर्ती पंचायतों तथा 13 जिला पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) प्रदान किए गए हैं।

शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता

13.26 देश में बेहतर शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के जरिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के द्वारा राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। इस क्षेत्र में की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम): जेएनएनयूआरएम, शहरीकरण के लिए फ्लेगशिप कार्यक्रम है जो दिसम्बर 2005 में शुरू किया गया था और यह आवसंरचना, आवास के विकास तथा क्षमता विकास के लिए शहरों को पर्याप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत चार घटकों में से दो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए आश्रय और मूलभूत सेवाओं हेतु है वे हैं:-65 चुने हुए शहरों के लिए शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाएं तथा अन्य शहरों और कस्बों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम। मार्च, 2012 तक संस्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2014 तक दो वर्षों के लिए मिशन की अवधि बढ़ा दी गई है। 6 फरवरी, 2013 तक लगभग 1.57 मिलियन मकान संस्वीकृत किए गए थे तथा 41,723 करोड़ रु॰ से अधिक के परिव्यय के साथ 1610 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। 22,370.82 करोड़ रु॰ के केन्द्रीय हिस्से (2005-12 के लिए सात वर्षीय आवंटन का 96. 5 प्रतिशत) की वचनबद्धता की गई है। 1.57 मिलियन से ज्यादा मकान संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 6.60 लाख का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 4.37 लाख में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। 14,661.16 करोड़ रु॰ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई है।

राजीव आवास योजना (आरएवाई): राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत बनाने को ध्यान में रखते हुए 2 जून 2011 को शुरू की गई थी। राजीव आवास योजना का पहला चरण (तैयारी चरण) इस स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए है और वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। राजीव आवास योजना का दूसरा चरण बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए होगा। वर्ष 2012-13 के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

समेकित निम्न लागत स्वच्छता योजना (आईएलसीएस): समेकित निम्न लागत स्वच्छता योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत ड्राईलैट्रीन को पुर फ्लश लैट्रीन में बदलकर वर्षों पुरानी हाथ से सफाई करने वाले कर्मियों को मुक्त करना तथा मनुष्यों द्वारा मल ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त करना है। इस स्कीम के लिए 2012-13 का आवंटन 25 करोड़ रुपये है।

कौशल विकास

13.27 शिक्षा और कौशल विकास किसी भी देश के आर्थिक विकास और संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे रोजगार सृजन व गरीबी तथा अन्य संबद्ध सामाजिक समस्याओं को कम करने का वातावरण बनाते हैं। जल्दी स्कूल छोड़ने वाले और विद्यमान श्रमिकों के कौशल विकास हेतु उद्योग, राज्य सरकारों व विशेषज्ञों के निकट परामर्श से मई 2007 में एक नया महत्वपूर्ण ढांचा विकसित किया गया है। अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, आतिथ्य-सत्कार और यात्रा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, खुदरा, आई टी, इलेक्ट्रोनिक्स, वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प और आटोमोटिव, कृषि, शीत श्रंखला व प्रशीतन, कपड़े सिलाई, बढ़ईगिरी और राजमिस्त्री कार्य जैसे क्षेत्रों के बड़े समूह में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 24 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। सात क्षेत्रों के लिए कौशल परिषदों की संरचना के अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, कृषि, नलसाजी, संचारतंत्र, पूंजीगत सामान और निर्माण क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों को भी इस अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया है। इस अवधि के दौरान एनएसडीसी के भागीदारों ने 1,39,305 व्यक्तियों को दीक्षित किया और उनमें से लगभग 97,116 व्यक्तियों को नियोजित किया और इस प्रकार नियोजन का 70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। एनएसडीसी के विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को मुख्य धारा में लाने में सहायता कर रहे हैं। एनएसडीसी उड़ान नामक योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में स्नातकों और स्नातकोत्तरों हेतु निजी क्षेत्र द्वारा चालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में इच्छुक भारत के कुछ सबसे बड़े कारपोरेट को शामिल करने में समर्थ रहा है। इस कार्यक्रम का स्तरोन्नयन जम्मू और काश्मीर में 40,000 व्यक्तियों को कुशल बनाना और अगले पांच वर्ष में

उन्हें काम में लगाने पर लक्षित है। पूर्वोत्तर राज्यों में, एनएसडीसी युवा नियोजनीयता कौशल परियोजना में युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ भागीदारी कर रहा है। एनएसडीसी ने 3 दिसंबर 2012 तक 25 राज्यों व तीन संघ राज्य क्षेत्रों में उपस्थिति स्थापित की है और 312 जिले कवर किए गए हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

13.28 पहले चरण का नामांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात यूआईडीएआई सक्रिय रूप से दूसरे चरण में लग गया है जिसमें 2014 के समाप्त होने से पहले 40 करोड़ निवासियों को नामांकित करना है। दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार 24.93 करोड़ आधार सृजित किए गए थे और लगभग 20 करोड़ आधार पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। यूआईडीएआई ने प्रतिदिन 10 लाख आधार सृजित करने और 10 मिलियन प्रमाणन लेनदेन प्रतिदिन प्रक्रिया भी स्थापित की है। नामांकन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा आधार का आनलाइन प्रमाणन और आधार-समर्थ लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरण वाली सरकारी सेवाएं देते हुए सेवा प्रदायगी में सक्षम बनाने के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने विभिन्न सामाजिक स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी का सीधा अंतरण करने का निर्णय लिया। यह अंतरण आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) नामक भुगतान ब्रिज के माध्यम से समर्थकारी होगा जिसमें आधार संख्या के आधार पर आधार-समर्थ बैंक खाते में निधियां अंतरित की जा सकती हैं। इससे नकद अंतरण प्रक्रिया में धोखाधड़ी/चूक के अवसर समाप्त हो जाएंगे। यह आधार संख्या लाभार्थी के डाटाबेस से जुड़ी होगी ताकि नकली/जाली लोगों को लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जा सके।

13.29 लाभार्थियों द्वारा धनराशि का आहरण आसान व बेहतर पहुंच वाला और हितैषी बनाने के लिए बैंकों/डाकघरों द्वारा खासकर एसएचजी, सामुदायिक सेवा केंद्रों, डाकघरों, किराना स्टोर, पैट्रोल पंपों आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों व आसान पहुंच वाले स्थानों पर देश भर में खुले तरीके से लघु एटीएम स्थापित किए जाएंगे। प्रारंभ में इसे 1 जनवरी, 2013 से देश भर के 51 प्रायोगिक जिलों में शुरू किया जा रहा है। सीधे नकद अंतरण सबंधी प्रयोग झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र राज्यों में भी ग्रामीण रोजगार, पेंशन, इंदिरा आवास योजना संबंधी लाभों का अंतरण करने के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रयोग आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और हैदराबाद जिलों में उचित दर दुकानों पर किया गया है जिन्हें आनलाइन आधार प्रमाणन करने के लिए समर्थ बनाया जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग तेल विपणन कंपनियों के साथ मैसूर में किया जा रहा है जहां एलपीजी गैस के सिलेंडरों की सुपुर्दगी ग्राहकों के आधार के आनलाइन प्रमाणन के बाद ही की जा रही है।

शिक्षा

13.30 पूरे जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ लेने के लिए भारत को अपने लोगों को शिक्षा और वह भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। बारहवीं योजना के मसौदे में ध्यान अध्यापकों के प्रशिक्षण व मूल्यांकन तथा जवाबदेही लागू करने के उपायों पर है। इसमें इस जरूरत पर भी बल दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में क्षमता बनाई जाए ताकि विस्तारित प्राथमिक नामांकनों से सफल होने वालों को खपाया जा सके।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

13.31 प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की हैं। कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं–

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/शिक्षा का अधिकार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क का कानून बनाते हुए बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 देश में 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। इस का निहितार्थ है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक विद्यालय, जो विशिष्ट आवश्यक मापदंड और मानक पूरे करता है, में संतोषजनक और साम्य गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 1 सितंबर, 2012 तक की उपलब्धियों में 3,34,340 नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना, 2,84,032 विद्यालय भवनों का निर्माण, 16,42,807 अतिरिक्त कक्षा के कमरे, 2,17,820 पेयजल सुविधाएं और 6,18,089 शौचालय, 8.32 करोड़ बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, 12.46 लाख अध्यापकों की नियुक्ति और 18.34 लाख शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेपों से स्कूल से बाहर छूटे हुए बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान संस्थ-अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार स्कूल से छूटे बच्चों की संख्या 2005 में 134.6 लाख से गिरकर 2009 में 81.5 रह गई है।

मध्याह्न भोजन (एमडीएम): विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय श्रम परियोजना विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों सहित इजीसी/वैकल्पिक एवं आधुनिक शिक्षा केन्द्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। फिलहाल पका हुआ दोपहर का भोजन प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा घटक और 12 ग्राम प्रोटीन अंश तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी

ऊर्जा घटक और 20 ग्राम प्रोटीन अंश प्रदान करता है। एनआरएचएम के अनुरूप लौह, फॉलिक एसिड और विटामिन ए जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की भी सिफारिश की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बजट आबंटन 10,380 करोड़ रुपए था जिसमें से कुल 9,901.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2011-12 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10.54 करोड़ बच्चे (प्राथमिक स्तर पर 7.18 करोड़ और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 3.36 करोड़) लाभान्वित हुए हैं। इस स्कीम को मानीटर करने के लिए एसडीएम-एमआईएस शुरू किया गया है और लगभग 11.08 लाख विद्यालयों की वार्षिक डाटा प्रविष्टियां पूरी की जा चुकी हैं। एमडीएम-एमआईएस को इन्ट्रेक्टिव वायस रिस्पांस प्रणाली से जोड़ा जाएगा जो इस स्कीम को मानीटर करने के लिए दैनिक आधार पर 1 घंटे के भीतर विद्यालयों से सूचना एकत्र करेगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए): माध्यमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाने और गुणता में सुधार के उद्देश्य से मार्च, 2009 में आरएमएसए की शुरूआत की गई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 3124 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 2215.58 करोड़ रुपए (31.12.2012 तक) 22 राज्यों को नए विद्यालय भवनों के निर्माण और विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आरएमएसए के अंतर्गत स्वीकृत अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन, सीखने के वृद्धित कार्यक्रम, इक्विटी हस्तक्षेप आदि के लिए जारी किए जा चुके हैं।

मॉडल स्कूल स्कीम: ब्लाक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के तौर पर प्रति ब्लाक एक स्कूल के साथ 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की स्कीम नवंबर 2008 में शुरू की गई थी ताकि प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इस स्कीम के कार्यान्वयन के दो रूप हैं। (i) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अधिकाधिक ब्लाकों (ईबीबी) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के जरिए 3500 स्कूल स्थापित किए जाने हैं और (ii) शेष 2500 स्कूल पीपीपी मोड के जरिए ऐसे ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। राज्य सरकार का संघटक 2009-10 से चालू है। पीपीपी संघटक का कार्यान्वयन 2012-13 से शुरू किया गया है। इस स्कीम को राज्य सरकार के संघटक के अंतर्गत 22 राज्यों में 2266 मॉडल स्कूल अनुमोदित किए गए थे। 21 राज्यों में 1880 स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्वीकृतियां दी जा चुकी हैं और इन राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 2215. 58 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में 473 स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और 31 दिसम्बर, 2012 तक आवर्ती व्यय के रूप में 57.88 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके थे।

साक्षर भारत/प्रौढ़ शिक्षा: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसे अब साक्षर भारत का नाम दिया गया है, महिला साक्षरता के बड़े हुए केन्द्र बिन्दु को दर्शाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 80% साक्षरता लाना था। 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% साक्षरता हो पाई है। तथापि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत अधिक सुधार आया है तथा यह पुरुषों के संबंध में 75.26% से 6.9% बढ़कर 82.14% हो गया तथा महिलाओं के संबंध में 53.67% से 11.8% बढ़कर 65.46% हो गया साक्षरता का स्तर राज्यों जिलों सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में एक समान नहीं रहा। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और लक्षित समूहों में विषमताओं कम करने के लिए केन्द्रीकृत उपाय किए हैं। मार्च 2012 तक यह कार्यक्रम 161219 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 25 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 372 जिलों तक पहुंच गया। मार्च 2012 के अंत तक लगभग 174 लाख सीखने वालों का नामांकन करते हुए लगभग 16 लाख साक्षरता कक्षाएं कार्य कर रही थी। नवम्बर, 2012 के अंत तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4386 ब्लॉक और 161219 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 410 पात्र जिलों में से 372 जिले शामिल किए गए हैं। चूंकि इस मिशन को जन कार्यक्रम के रूप में अभिकल्पित किया गया है अत: विशेष तौर पर निचले स्तर अर्थात् पीआरआई का स्तर पर पणधारियों की इसके आयोजन और कार्यान्वयन में पूरी भूमिका है। प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने के सरकार के प्रयासों के बावजूद गुणवत्ता के संबंध में बहुत कुछ किया जाना है। एक गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा शैक्षिक रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2012 में, 567 जिलों, ग्रामीण बच्चों के संबंध में किए गए इसके वार्षिक सर्वेक्षण में कई सकारात्मक और नकारात्मक बातों को प्रकाश में लाया गया है। (बॉक्स 13.4) शैक्षिक उपलब्धि के गिरते हुए स्तर चिन्ता का विषय है यद्यपि यह अस्पष्ट है कि सीखने के निम्न स्तर के कारण कितनी गिरावट आई है और कितनी गिरावट इस कारण आई है कि विद्यालय पूर्व की तुलना में कम तैयारी वाले विद्यार्थियों का नामांकन कर रहे हैं।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा

13.32 जहां तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या का सवाल है भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली संसार की बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। स्वतन्त्रता के समय केवल 20 विश्वविद्यालय और 200 महाविद्यालय और 0.1 मिलियन विद्यार्थी थे तथा अब 2011-12 की स्थिति के अनुसार 690 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं है और 35539 महाविद्यालय हैं। 690 विश्वविद्यालयों में से 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, 309 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 145 राज्यों के गैर सरकारी विश्वविद्यालय है, 130 मानद् विश्वविद्यालय, 60 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है तथा पांच संस्थाएं राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत गठित हैं।

बॉक्स 13.4 : शैक्षिक रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2012 के मुख्य निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक बातें अथवा यथास्थिति को बनाए रखना

दाखिले में वृद्धि: वर्ष 2012 में, ग्रामीण भारत में 6-14 वर्ष के 96.5% बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया गया है। यह चौथा लगातार वर्ष है जब दाखिले का स्तर 96% अथवा अधिक है। वर्ष 2006 में, 8 बड़े राज्यों में 11-14 वर्ष के आयु समूह की 11% से अधिक बालिकाओं ने स्कूलों में दाखिला नहीं लिया था। 2011 तक यह आंकड़ा, इन राज्यों में से 3 राज्यों (झारखंड, गुजरात और उड़ीसा) में गिरकर 6.5% से कम हो गया और 3 अन्य राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल) में 5% से कम हो गया। इन राज्यों में स्थिति 2012 में कमबेश अपरिवर्तनीय रही। तथापि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11-14 वर्ष की स्कूल में नहीं पढ़ रही बालिकाओं का अनुपात 2011 में क्रमश: 8.9% और 9.7% से बढ़कर 2012 में 11% से अधिक हो गया है।

अधिकांश राज्यों में गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिलों में बढ़ोत्तरी: गैर-सरकारी स्कूलों में 6-14 वर्ष के बच्चों के दाखिले वर्ष 2006 के 18.7% से लगातार बढ़कर वर्ष 2012 में 28.3% हो गए हैं। केरल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा (जहां गैर-सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष दाखिले 40% से अधिक थे) को छोड़कर अधिकांश सभी राज्यों में गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ा हुआ दीखता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मेघालय में गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिला 40% से अधिक था। यह प्रतिशत केरल और मणिपुर में 60 अथवा इससे अधिक है। वर्ष 2009 से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिला, करीब 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2018 तक भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 50% बच्चे गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे।

बालिका शौचालयों का बेहतर प्रावधान: बिना शौचालयों के स्कूलों (बालक-बालिकाओं) का अनुपात 2011 के 12.2% से गिरकर 2012 में 8.4% रह गया है। ऐसे स्कूलों, जिनमें बालिकाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शौचालय हैं, का अनुपात 2011 के 32.9% से बढ़कर 2012 में 48.2 हो गया है।

स्कूलों में अधिक पुस्तकालय और अधिक बच्चों द्वारा इसका प्रयोग: बिना पुस्तकालयों के स्कूलों का अनुपात वर्ष 2011 के 28.7% के मुकाबले वर्ष 2012 में कम होकर 23.9% रह गया है। और अधिक स्कूलों में बच्चे पुस्तकालय का प्रयोग करते देखे गए हैं तथा इन बच्चों की संख्या वर्ष 2010 के 37.9% के मुकाबले वर्ष 2012 में 43.9 हो गयी है।

शिष्य अध्यापक अनुपात तथा कक्षा-अध्यापक अनुपात की अनुपालना: अखिल भारतीय स्तर पर शिष्य-अध्यापक अनुपात संबंधी आईटीई मानदण्डों की अनुपालना करने वाले स्कूलों के अनुपात में निरन्तर वृद्धि हुआ है तथा इनका अनुपात वर्ष 2010 के 38.9% से बढ़कर वर्ष 2012 में 42.8% हो गया है। अनुपालना के संबंध में नागालैंण्ड का प्रतिशत 93 है जोकि केरल (92%) से आगे हैं तथा केरल का प्रतिशत पिछले वर्ष सबसे अधिक था। जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 80% से अधिक स्कूल इन मानदण्डों की अनुपालन कर रहे हैं।

भवनों, खेल के मैदानों, चारदीवारी अथवा पेयजल में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं: दौरा किए गए स्कूलों में से लगभग 61.1% में वर्ष 2012 में खेल के मैदान थे जो वर्ष 2011 में 62.8% थे। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012 में उन स्कूलों का अनुपात 0.8% बढ़ गया है जिनकी चारदीवारी है। देश स्तर पर ऐसे स्कूलों का अनुपात जहां पेय-जल की व्यवस्था नहीं है, वर्ष 2010 में 17.1% वर्ष 2011 में 16.7% तथा वर्ष 2012 में 16.6% रहा। प्रयोग की जा सकने वाली जल सुविधा से युक्त स्कूलों का अनुपात लगभग 73% पर स्थिर है।

कुछ नकारात्मक बातें

अध्यापक-कक्षा अनुपात में गिरावट: एक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा वाले स्कूलों के अनुपात वर्ष 2010 के 76.2% से घटकर वर्ष 2011 में 74.3% और वर्ष 2012 में 73.7% रह गए। तथापि राष्ट्रीय पैट्रन से अलग रहते हुए, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस वर्ष अध्यापक कक्षा अनुपात में वृद्धि हुई है।

आधारभूत पठन के स्तर में गिरावट : वर्ष 2010 में पांचवीं कक्षा के 46.3% बच्चे, दूसरी कक्षा के स्तर की पुस्तक नहीं पढ़ सकते थे तथा यह प्रतिशत वर्ष 2012 में बढ़कर 52.3 हो गया।

अधिकांश राज्यों में अंकगणित के स्तर में गिरावट: बुनियादी अंकगणित के स्तर के अनुमान में गिरावट आयी है। उदाहरण के तौर पर देश भर में वर्ष 2010 में पांचवीं कक्षा के 29.1% बच्चे साधारण दो अंक वाले घटा के हासिल उधार लेने वाले सवाल हल नहीं कर सके तथा यह प्रतिशत 2011 में 39 और 2012 में 46.5 हो गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को छोड़कर प्रत्येक बड़े राज्य में अंक गणित सीखनें के स्तर में पर्याप्त गिरावट आई है।

बच्चों की स्कूल में हाजिरी में कमी: ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के बच्चों की हाजिरी में वर्ष 2009 के 74.3% के मुकाबले वर्ष 2012 में 71.3% तक गिरावट हुई। तथापि कुछ राज्यों में बच्चों की हाजिरी में वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की हाजिरी 2007 के 57% से बढ़कर 2012 में 58.3% हो गई, कर्नाटक में 2009 के 88% से बढ़कर 2012 में 89.1%, केरल में 2009 में 91.9% से बढकर 2012 में 84.4% तथा उड़ीसा में 2009 के 74.1% से 2.012 में 77.5% हो गई।

सभी कक्षा II और कक्षा IV के आधे से अधिक बच्चे दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ बैठते हैं: देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मल्टीग्रेड कक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

स्रोत: एएसईआर 2012 दिनांक 17 जनवरी, 2013 की प्रेस रिलीज, website http://images2.asercentre.org/aserreports/ASER_2012_PRESS_RELEASE.pdf

13.33 इक्विटी और श्रेष्ठता के साथ पहुंच में सुधार लाने पर फोकस करने, राज्य विशिष्ट रणनीतियों को अंगीकार करने पाठ्यक्रम सुधारों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की प्रासंगिकता को बढ़ाने, व्यावसायीकरण, नेटवर्किंग तथा उच्चतर शिक्षा में शासन के सुधारों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और दुरस्त शिक्षा के प्रयोग पर फोकस करते हुए ग्याहरवीं योजना अवधि के दौरान कई पहलें की गई है। की गई मुख्य पहले निम्नलिखित है:

- 11वीं योजना के दौरान 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय गठित किए गए थे जिनमें तीन राज्य विश्वविद्यालयें को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना भी शामिल था। सात नए भारतीय प्रबन्ध संस्थान, आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा 2 आयोजना और वास्तुकला स्कूल गठित किए गए थे।
- आई.सी.टी.(एन.एम.ई.आई.सी.टी.) के माध्यम से शिक्षा राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को काई-स्पीड ब्रॉड बैन्ड की कनेक्टीविटी प्रदान करना तथा विभिन्न विषयों में ई-कान्टेन्ट का विकास काना है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है। लगभग 404 विश्वविद्यालयों को 1 जी.बी.पी.एस. कनक्टीविटी दी गई है अथवा इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और 19851 कॉलेजों को वी.वी.एन. कनेक्टीविटी दी गई है। 250 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए है और इन्हे प्रौद्योगिकी विस्तारित सीख के राष्ट्रीय कार्यक्रम के चरण I में उपलब्ध एपीटीईएल के चरण II में इंजीनियरिंग और विज्ञान के विभिन्न विषयों में 996 पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे है। नवम्बर, 11, 2012 को न्यून लागत पहुंच और संगणक डिवाईस आकाश II आरम्भ किया गया। एनएमईआईसीटी के अंतर्गत विकसित व्यू सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अध्यापकों की अधिकारिता के संबंध में 1000 अध्यापकों के बैच के लिए एक ही समय में आईआईटी, मुम्बई द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता देने की एक योजना 2009-10 में शुरू की गई थी।
- जम्मू-कश्मीर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में सुझाव देने तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को शामिल करते हुए नौकरी की आयोजना तैयार करने के क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशों में से एक सिफारिश है जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्ष तक यह योजना 2011-12 से लागू की जा रही है।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बढ़ती हुई दक्षता चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने पीपीपी आधार पर बीस नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। परियोजना को 2011-12 से 2019-20 तक नौ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार, राज्यों को असेवित जिलों में नए सरकारी पॉलीटेक्निकों की स्थापना की लागत को पूरा करने के लिए प्रति पॉलीटेक्निक 12.30 करोड़ रू॰ की सीमा तक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

स्वास्थ्य

13.34 लोगों के रहन-सहन और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार भारत में नीतिनिर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के समान ग्रामीण आबादी को सुगम, किफायती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान के उद्देश्य के साथ 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की योजना और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने, बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन, लचीला वित्तपोषण और संयुक्त अनुदान का प्रावधान, विकेन्द्रीकृत योजना और मानव संसाधन के संवर्धन जैसे दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्वास्थ्य प्रणाली में वास्तुशिल्पीय बदलाव लाना है। सारणी 13.9 स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर समयावधि के दौरान भारत द्वारा की गई प्रगति को दर्शाता है।

13.35 वर्ष 2012-13 में, स्वास्थ्य के लिए योजनागत परिव्यय 13.9 प्रतिशत तक बढ़ाकर 30,477 करोड़ रू. किया गया। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और परिवार कल्याण पर केन्द्र एवं राज्यों का संयुक्त राजस्व तथा पूंजीगत व्यय 2006-7 में 53,057.80 करोड़ रू. से बढ़कर 2011-12 (बजट अनुमान) में 1,18,295.78 करोड़ रू. हो गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिए केन्द्रीय परिव्यय ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में 99,491 करोड़ रू. के वास्तविक परिव्यय की तुलना में 200 प्रतिशत तक बढ़कर 3,00,018 करोड़ रू. हो गया। इस परिव्यय को जन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के विस्तार और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की प्रणाली की स्थापना के दीर्घावधि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में किए गए पहलों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली तक किफायती पैठ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, जन स्वास्थ्य पर इसका व्यय इस अध्याय में पहले वर्णित के अनुसार कम है।

सारणी 13.9 : भारत – चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतक

क्र. सं.	मानदंड	1981	1991	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (सीबीआर) (प्रति 1000 आबादी)	33.9	29.5	21.8 (2011*)
2.	अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) (प्रति 1000 आबादी)	12.5	9.8	7.1 (2011*)
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (प्रति महिला)	4.5	3.6	2.5 (2010*)
4.	मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	NA	NA	212 (2007-9*)
5.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	110	80	44 (2011*)
	ग्रामीण			48
	शहरी			29
6.	बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	13.3 (2010*)
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा	**(1981-85)**	**(1989-93)**	**(2006-10)****
	कुल	55.4	59.4	66.1
	पुरूष	55.4	59.0	64.6
	महिला	55.7	59.7	67.7

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
***प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस), (आरजीआई):**
****संक्षिप्त जीवन तालिका, 2003-07 से 2006-10, आरजीआई।**

13.36 सरकार ने प्रमुख मुद्दों का समाधान करने और मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना में अंतर को भरने और सुलभ, किफायती, सुसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम): एनआरएचएम, जो विद्यमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अति महत्वपूर्ण छत्र प्रदान करता है, को ग्रामीण आबादी को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार, स्वास्थ्य सेवा में अंतर को भरने, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना को सुगम बनाने और अंतर-क्षेत्रीय समाभिरूपता लाने के लिए 2005 में शुरू किया गया। बेहतर अवसंरचना, मानवशक्ति, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता और विभिन्न स्तरों में स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य मानव संसाधन के संवर्धन से स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी में सुधार और बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अंत: रोगी विभाग (आईपीडी) सेवाओं में वृद्धि की है (सारणी 13.10)।

13.37 एनआरएचएम के अन्तर्गत, देश भर में स्वास्थ्य प्रणाली में 1.4 लाख से अधिक मानव संसाधन को शामिल किया गया (सितम्बर 2012 तक)। इनमें 9513 एलोपैथिक डॉक्टर/विशेषज्ञ, 11,478 आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं समचिकित्सा) डॉक्टर, 66,407 सहायक नर्स मिडवाइव (एएनएम), 32,275 स्टॉफ नर्स और आयुष पराचिकित्सक सहित पराचिकित्सक हैं। मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को एक प्रति 1000 आबादी के अनुपात के प्रत्येक ग्राम/बड़े निवास स्थानों में नियुक्त किया गया है। सितम्बर 2012 तक पूरे देश में 8.84 लाख आशाओं का चयन किया गया, जिनमें से 8.09 लाख को कार्यअभिमुखी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, 7.96 लाख आशाओं को दवा किट प्रदान किया गया। एनआरएचएम के तहत अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के भाग के रूप में, 10,473 नए उप-केन्द्रों, 714 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और 245 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) का निर्माण किया गया है। 10,326 उप-केन्द्रों, 2963 पीएचसी और 1221 सीएचसी का नवीकरण/उन्नयन भी पूरा हो चुका है। देश भर में 8199 पीएचसी को 24 x 7 के रूप में कार्यात्मक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआरएचएम के अन्तर्गत देश भर में 459 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के रूप में लगभग 2024 वाहनों को क्रियाशील किया गया है। एनआरएचएम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के लिए कुल योजनागत परिव्यय 20,452 करोड़ रू. है और 2712.7 करोड़ रू. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): 2005 में शुरू किए गए जेएसवाई का लक्ष्य दक्ष जन्म परिचारक द्वारा की जाने वाली सांस्थानिक जनन को प्रोत्साहित करके एमएमआर को नीचे लाना है। लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 2005-6 में 7.38 लाख से बढ़कर 2011-12 में 1.09 लाख से अधिक हो गई है। सांस्थानिक जनन की संख्या 2005-6 के दौरान 1.08 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान 1.75 करोड़ हो गई है। 2012-13 (सितम्बर 2012 तक) के दौरान सांस्थानिक जनन की संख्या 80.39 लाख थी। इसके अतिरिक्त, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), एक नई पहल जिसमें जन स्वास्थ्य संस्थान में जनन करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लिए शल्यक्रिया, मुफ्त दवाएं, निदान, रक्त एवं आहार सहित मुफ्त जनन और परामर्श के दौरान घर से

सारणी: 13.10 स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना	
सुविधाएं	(संख्या)
एससी/पीएचसी/सीएचसी* (2011)	176,820
सरकारी अस्पताल (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र)**	11,493
आयुष अस्पताल एवं औषधालय	27,339
परिचर्या कार्मिक (31.12.10 के अनुसार)**	18,94,968
चिकित्सक (आधुनिक प्रणाली) (2011)**	922,177

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय *आरएचएस: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 से यथा प्राप्त एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य रूपरेखा 2011**

संस्थान तक मुफ्त परिवहन को शामिल करते हुए पूर्णतया निशुल्क जनन की सुविधा भी कार्याधीन है।

राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: देश में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्ककोप, काला-जार और लसीका फाइलेरिया जैसे रोगवाहक रोगों के नियंत्रण और उससे बचाव के लिए एक राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इन छह रोगों में से, काला-जार और लसीका फाइलेरिया का 2015 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के साथ, मलेरिया में 2011 में 1.31 मिलियन मामलों में से जांचे गए 108.97 मिलियन व्यक्तियों में से 753 मृत्यु की तुलना में 2012 में (नवम्बर तक) 0.95 मिलियन मामलों में से 94.85 जांचे गए व्यक्तियों में से 446 मृत्यु के साथ गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। हाल के समय में लक्ष्यद्वीप के अलावा लगभग सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों से डेंगू की शिकायतें प्राप्त हुई। 2011 के दौरान, 18,860 मामले और 169 मृत्यु की पुष्टि हुई, जबकि 2012 के दौरान, 47,029 मामले और 242 मृत्यु की पुष्टि हुई। चिकनुगुनिया मामलों में 2006 में इसके पुन: उभरने के बाद गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी।

मानव संसाधन, तृतीय स्वास्थ्य सेवा का अवसंरचना विकास/उन्नयन: सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने हेतु, नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए भूमि आवश्यकता मानदंड और अवसंरचना आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है। तथापि, चिकित्सकों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए, जिला अस्पतालों के साथ संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और बारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 16,000 नए एमबीबीएस सीटों को जोड़ने के लिए विद्यमान कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने का प्रस्ताव है। नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए उन जिलों में, जहां पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, वहां पर 132 एएनएम विद्यालय (प्रति विद्यालय 5 करोड़ रू. की लागत से) और 137 सामान्य नर्सिंग और मिडवाइवरी (जीएनएम) विद्यालय खोलने के लिए एक योजना कार्यान्वयन के अधीन है। दिसम्बर 2012 तक इस योजना के तहत 520.50 करोड़ रू. की राशि जारी की जा चुकी है। 120 करोड़ रू. की कुल लागत पर एम्स जैसे संस्थानों के कार्यस्थल पर छह नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना कार्यान्वयन के अधीन है। राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु योजना में 1350 करोड़ रू. का एकमुश्त अनुदान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में निधि पोषित किए जाने की परिकल्पना की गई है। 2009-10 से 2012-13 के दौरान, 72 मेडिकल कॉलेजों को निधिपोषित किया गया है। दक्ष पराचिकित्सीय मानवशक्ति की आपूर्ति में सुधार एवं पराचिकित्सीय प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए 804.43 करोड़ रू. की लागत से नजफगढ़ दिल्ली में एक राष्ट्रीय पराचिकित्सीय विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) और आठ क्षेत्रीय पराचिकित्सीय विज्ञान संस्थानों (आरआईपीएस) की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों को 352 करोड़ रू. के एकमुश्त अनुदान के माध्यम से पराचिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): पीएमएसएसवाई का लक्ष्य किफायती/भरोसेमंद तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं में सुधार करना है। 2012-13 के लिए, पीएमएसएसवाई के तहत 1544.21 करोड़ रू. चिह्नित किया गया है जिसका लक्ष्य (i) पहले चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश और द्वितीय चरण में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 6 एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण, (ii) पहल चरण में 13 और दूसरे चरण में 6 मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना है। छह एम्स जैसे संस्थानों में 50 एमबीबीएस सीटों के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम सितम्बर 2012 में शुरू हो चुका है और अस्पतालों के सितम्बर 2013 तक प्रचालनीय होने की संभावना है।

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं समचिकित्सा (आयुष): भारतीय औषध प्रणाली को 2012-13 में 990 करोड़ रू. की योजनागत परिव्यय के आवंटन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी में आयुष प्रणाली के समामेलन/एकीकरण द्वारा भी विकसित और संवर्धित की जा रही है। आयुष स्वास्थ्य सेवा को मुख्य ऐलोपैथिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने के लिए राज्यों को पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन और एकल आयुष अस्पतालों/दवाखानों के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

महिला और बाल विकास

13.38 महिलाएं, स्वास्थ्य शिक्षा और आर्थिक अवसरों जैसे कई सामाजिक संकेतकों में पुरूषों से पीछे हैं। इसलिए उनकी संसाधनों तक पहुंच की कमी के कारण उनको विशेष तवज्जों देने की आवश्यकता है। चूंकि राष्ट्रीय बजट संसाधन आवंटन के स्वरूप के माध्यम से पुरुषों एवं महिलाओं को अलग प्रकार से प्रभावित करता है, विभिन्न योजनागत स्कीमों, यथा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि और लैंगिक बजट (जीबी) के अन्तर्गत योजनागत व्यय में क्रमिक वृद्धि के साथ महिला एवं बाल विकास के लिए योजनाओं के अवसरों और क्षेत्र का विस्तार किया गया है। कुल बजट की प्रतिशतता के रूप में जीबी के लिए आवंटन 2005-06 में 2.79 प्रतिशत से 2012-13 में 5.91 प्रतिशत तक चला गया है। महिलाओं एवं बाल विकास के आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं एवं नीतिगत पहलें निम्नवत हैं:

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम: आईसीडीएस स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के किए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है, जिसके लिए प्रारंभ में 1975 में 33 परियोजनाएं और 4891 आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) खोले गए थे। 7076 परियोजनाओं के संचित अनुमोदन और मांग पर 20,000 आंगनवाड़ियों सहित 14 लाख एडब्ल्यूसी के साथ इस स्कीम का अब सार्वभौमिकरण हो गया है। वर्तमान में 7025 आईसीडीएस परियोजनाएं और 13.31 लाख एडब्ल्यू कार्यरत हैं। ये वर्तमान में 28 लाख लाभान्वितों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आईसीडीएस स्कीम में सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपए के समग्र बजट आबंटन के साथ अनुमोदित किया गया है और इसे तीन वर्षों में सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा। अधिक दल जागरुकता लाने, मनरेगा के साथ अभिसारित और एमआईएस-आधारित मॉनीटरिंग पर दिया जा रहा है।

किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (आरजीएसईएजी) सबला: सबला अब 205 चुनिंदा जिलों में कार्यरत है जिसका उद्देश्य 11-18 वर्ष के आयुवर्ग वाली किशोर लड़कियों का समग्र विकास तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना है इसमें स्कूल न जाने वाली किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं, पोषण और गैर-पोषण 11-14 के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली लड़कियों और 14-18 आयु वर्ग की सभी किशोरियों के लिए 'घर ले जाओ राशन' या 'गर्म पका खाना' के रूप में पोषण दिया जा रहा है। गैर-पोषण घटक के अंतर्गत 11-18 वर्ष की किशोर लड़कियों की विकासात्मक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।, इसमें इस आयु वर्ग की लड़कियों को आयरन-पोलिक एसिड पूरक खुराकें, स्वास्थ्य जांच और निर्दिष्ट सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण पर परामर्श/मार्ग दर्शन, कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं की अभिगम्यता पर मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम का लक्ष्य एक वर्ष में 1 करोड़ किशोरियों को पोषण प्रदान करना है। वर्ष 2012-13 के लिए 750 करोड़ रुपए के आबंटन में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 496 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं जिससे 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 87.23 लाख किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसबाई): आईजीएमएसवाई गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकदी हस्तांतरण स्कीम है जो अक्तूबर, 2010 से देश के 53 चुनिंदा जिलों में प्रारंभ में प्रायोजिक आधार पर क्रियान्वित की गई थी। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 3 लाख से अधिक लाभान्वितों को शामिल किया गया है और राज्यों को 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम को प्रत्यक्ष हितलाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कवर किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में 9 जिलों को शामिल किया जा रहा है। 2012-13 में, स्कीम का बजटीय परिव्यय 520 करोड़ रुपए का है और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली 12.5 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य है

महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एएमईडब्ल्यू): विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के बेहतर अभिसरण और उर्वरक के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की इस पहल को 2010-11 में प्रचालन में लाया गया था। इस मिशन के तहत देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहलों को सुप्रवाही बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकरणों और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसीडब्ल्यू) सहित राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएके): आरएमके राज्यों के संपर्क में माध्यमिक माइक्रो-क्रेडिट संगठनों (आईएमओ) को उधार देते हुए, एक अर्ध-गैर-औपचारिक ढंग से माइक्रो-क्रेडिट प्रदान करता है। यह जीवन-यापन संबंधी क्रियाकलापों हेतु क्रेडिट के प्रावधान के माध्यम से निर्धन महिलाओं और उनके सशक्तिकरण पर अधिक ध्यान देता है। 31 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि के साथ, आरएमके बढ़कर 180 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है जिसमें 69 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय आबंटन के साथ क्रेडिट, निवेशों और वसूली प्रबंधन को देय रिजर्व और सरप्लस भी शामिल है। 1993 में इसके प्रारंभ से 31 दिसम्बर, 2012 तक, आरएमके ने 342.40 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण मंजूर किए हैं और 7.19 लाख महिला लाभान्वितों को कवर करते हुए 275.89 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए नीतियां: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने संबंधी विषय एक अन्य क्षेत्र है जिसने हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित किया है। नई दिल्ली में यौन हिंसा की हाल ही की दर्दनाक घटना के अनुकरण में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश जस्टिस जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और बदतर यौन हिंसा के मामलों में सजा के स्तरों की जांच करने के लिए प्रतिष्ठित विधिवक्ताओं की एक समिति गठित की गई थी और इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। यौन अपराधों पर एक अध्यादेश (अपराध कानून (संशोधन) अध्यादेश, 213) भी जारी किया गया है। जो जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। लोक प्राधिकारियों की

ओर से हुई चूकों की पहचान करने और राजधानी में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवा निवृत्त जज सुश्री जस्टिस उषा मेहरा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी गठित किया गया था। नई पहलें भी की जा रही हैं जैसे कि आश्रम प्रदान करने के लिए एक-ठहराव संकट केन्द्र, पुलिस सहायता, विधि, चिकित्सीय और केन्द्र बिन्दु के रूप में सरकारी अस्पतालों के साथ परामर्श सेवाएं। बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता और सहायक सेवाओं के माध्यम से पुनरुद्धारक न्याय प्रदान कराने वाली स्कीम को भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार 12वीं योजना में क्रियान्वित किया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा पर एक अध्यादेश भी जारी किया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण और विकास

13.39 तीव्र और अधिक समावेशी विकास हासिल करने के लिए सामाजिक रूप से सुविधा रहित समूहों और समाज के अति निध न वर्गों का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक उत्थान आवश्यक है। समाज के सुविधा रहित और अति निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए राज्यों, सरकार के शीर्ष निगमों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियां (एससी)

13.40 स्व-रोजगार या प्रशिक्षण के माध्यम से एससी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) एक बड़ी पहल है। स्वीकार्य सब्सिडी परियोजना लागत की 50% है, जिसमें से प्रत्येक लाभान्वित के लिए अधिकतम राशि 10,000 रु० है। 2012-13 के दौरान, 12 लाख से अधिक लाभान्वितों को कवर करने का लक्ष्य है। 31 दिसंबर 2012 तक 1180 करोड़ रु० के आवंटन में से राज्यों को 713.02 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण संशोधन) नियमावली 2011 के अनुसार हाल ही में एक और उपाय किया गया है जिसके अंतर्गत अत्याचारों के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलने वाली राहत की मौजूदा दरों (0.20 लाख रु० से 2.50 लाख रु० तक) को बढ़ाया (0.50 लाख रु० से 5 लाख रु० तक) गया है। 100 करोड़ रु० के आवंटन में से दिसंबर, 2012 तक राज्यों को 55.36 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त की गई है।

13.41 एससी छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा संबंधी अध्ययन जारी रखने के लिए अनेक प्रोत्साहनात्मक स्कीमें भी क्रियान्वयनाधीन हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- एससी बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए, कक्षा IX और X में पढ़ रहे एससी छात्रों के लिए 1 जुलाई, 2012 से पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम प्रारंभ की गई है ताकि स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आऊट) विशेषकर प्राथमिक से माध्यमिक चरण में जाते समय, की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। इस स्कीम के लिए वे छात्र पात्र हैं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रु० से अधिक न हो। लगभग 35 लाख लाभान्वितों को छात्रवृत्तियां देने के लिए 2012-13 के लिए 824 करोड़ रु० के आवंटन में से 31 दिसंबर, 2012 तक राज्यों को 777 करोड़ रु० की राशि जारी की गई है। जिन छात्रों के माता-पिता अनक्लीन व्यवसायों में लगे हैं उन्हें पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, 2012-13 के लिए 10 करोड़ रु० आवंटन में से राज्यों को 5.71 करोड़ रु० (दिसंबर, 2012 तक) जारी किए गए हैं। इससे दिसंबर, 2012 तक 3.23 लाख छात्र लाभान्वित हो चुके हैं।
- संशोधित उत्तर-मैट्रिक स्कीम के तहत, 1500 करोड़ रु० के बजट अनुमान में से राज्यों को 1269.73 करोड़ रु० की राशि जारी की गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 40 लाख अनुमानित है।
- राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम के तहत एमफिल और पीएचडी कोर्स करने वाले एससी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अंतर्गत 2012-13 के दौरान 2000 नई/नवीकरणीय फैलोशिप के लिए 125 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति स्कीम के तहत उन छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएचडी/पोस्ट-डॉक्टर पाठयक्रम कर रहे हैं, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 30 अवार्ड दिए जाते हैं। 2012-13 के दौरान 6 करोड़ रु० के आवंटन में से 31 दिसंबर, 2012 तक 1.7 करोड़ रु० जारी किए गए थे।
- उच्च श्रेणी की शिक्षा के तहत जो छात्र आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश लेते हैं उन्हें शिक्षण शुल्क, निर्वाह-योग्य खर्चे, पुस्तकें और कंप्यूटर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-13 में 677 छात्रों को सहायता देने के लिए 25 करोड़ रु० के आवंटन में से 31 दिसम्बर, 2012 तक 8.35 करोड़ रु० जारी किए गए हैं।

अनुसूचित जनजातियां (एसटी)

13.42 एसटी के कल्याण और विकास के लिए 2012-13 की वार्षिक योजना में 4090 करोड़ रु० का परिव्यय तैयार किया गया है। 2012-13 के दौरान, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के रूप में 1200 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं। टीएसपी को एससीए 100% अनुदान राशि है जो परिवार-अभिमुख आय-सृजन स्कीमों, प्रासंगिक अवसंरचना के सृजन, एसएचजी को वित्तीय सहायता देने, समुदाय-आधारित क्रियाकलापों और वन-ग्रामों के विकास के लिए, राज्यों को अपने टीएसपी के अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में दी जाती है। वर्ष

2012-13 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता-अनुदान के लिए परिव्यय 1317 करोड़ रु॰ है।

13.43 एसटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, आम-सृजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए रियायती ब्याज-दरों पर ऋण और माइक्रो-क्रेडिट के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। जनजातीय उत्पादों और उनके खुदरा विपणन के बाजार विकास का कार्य भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) द्वारा इसके बिक्री बाजारों के माध्यम से किया जाता है। 31 अक्तूबर, 2012 तक 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006' के उपबंधों के तहत 32.37 लाख दावे दर्ज किए गए हैं और 12.76 लाख टाइटल संवितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 14,603 टाइटल संवितरित के लिए तैयार थे। कुल 27.88 लाख दावों को निपटा लिया गया है।

13.44 एसटी छात्रों की मदद के लिए भी अनेक स्कीमें हैं। उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत, मान्यता-प्राप्त संस्थानों में पेशेवर, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित उत्तर मैट्रिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए, 2 लाख रु॰ वार्षिक या इससे कम पारिवारिक आय वाले एसटी छात्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसटी के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम के तहत किन्हीं 125 चुनिंदा संस्थानों में डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 625 एसटी छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत लाभान्वित एसटी छात्र की सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रु॰ से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति स्कीम के तहत स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर विशिष्ट क्षेत्रों में विदेश में उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए भी 15 पात्र एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के साक्षरता स्तरों के बीच के अंतर को पाटने के लिए निम्न साक्षरता वाले जिलों में एसटी लड़कियों में शिक्षा को सुदृढ़ करने की स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है।

अल्पसंख्यक

13.45 अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित पांच समुदाय-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी देश की कुल जनसंख्या का 18.42% भाग हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनागत परिव्यय को वर्ष 2011-12 के 2850 करोड़ रु॰ से बढ़ाकर 2012-13 में 3135 करोड़ रु॰ कर दिया था। वर्ष 2008-9 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में विशेष रूप से शिक्षा, कौशल-विकास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास और पेयजल संबंधी 'विकासात्मक कमियों' को दूर करने के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास पहल के रूप में बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 11वीं योजना के दौरान 3734 करोड़ रु॰ मूल्य की परियोजना को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2012-13 में इस कार्यक्रम का परिव्यय 1000 करोड़ रु॰ का है। अल्पसंख्यक समुदायों की पिछड़े वर्गों के बीच स्व-रोजगार और अन्य आर्थिक नवोद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के ऋण और माइक्रो-वित्त संबंधी प्रचालनों का विस्तार करते हुए इसकी प्राधिकृत साझा पूंजी को वर्ष 2006-07 की 650 करोड़ रु॰ से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 1500 करोड़ रु॰ कर दिया था। वर्ष 2012-13 के दौरान, एनएमडीएफसी के लिए 99.64 करोड़ रु॰ की राशि आवंटित की गई थी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नए 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण स्कीमों में अल्पसंख्यकों के ए 15% लक्ष्यों/परिव्ययों को विनिर्दिष्ट किया गया है, का लक्ष्य अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा, रोजगार और बुनियादी अवसंरचना संबंधी स्कीमों के हितलाभों का एकसमान प्रवाह सुनिश्चित करना है।

13.46 मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एमएईएफ) की निधि को 2005-06 में 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर मार्च, 2012 तक 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिक उपरान्त एवं मैट्रिक-व-मीन्स आधारित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं जिन्हें केवल अधिसूचित अल्पसंख्यकों हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है के लिए आबंटन 2011-12 में 1190 करोड़ रुपए से 2012-13 में 1620 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। दो योजनाएं वस्तुतः (i)2012-13 में 70 करोड़ रुपए के आबंटन वाली अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप तथा (ii) 2012-13 में 5 करोड़ रुपए के आबंटन वाली स्टेट वक्फ बोर्ड के रिकॉडों का कम्प्यूटरीकरण 2009-10 कार्यान्वयन के अधीन हैं। 2012-13 हेतु 15 करोड़ के आबंटन वाली एक और योजना है जो अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास से संबंधित है।

अन्य पिछडी जातियां

13.47 अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षिक विकास हेतु राज्यों को केंद्रीय उपलब्ध करायी जाती है। ओबीसी हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत 2012-13 के दौरान आबंटित 50 करोड़ रुपए में से 35.45 करोड़ रुपए दिसम्बर, 2012 तक राज्यों को जारी कर दिए गए। मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना के तहत 17.25 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्व-विद्यालय में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए तथा उन्हें होस्टल की सुविधा प्रदान करने के लिए 2012-13 में 45 करोड़ रुपए के आबंटन में से 6.13 करोड़ रुपए दिसम्बर, 2012 तक जारी किए गए।

नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति

13.48 नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति देश के लिए एक मूल्यवान मानव संसाधन हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार से नि:शक्त व्यक्तियों के भौतिक पुनर्वास, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास तथा उनके सामाजिक सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चलायी गई हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति नि:शक्तता से ग्रस्त थे जिनमें से 1.26 करोड़ पुरुष एवं 0.93 करोड़ महिलाएं हैं जो कुल

जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत भाग है; जिनमें से 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं; 49 प्रतिशत अशिक्षित हैं; तथा केवल 34 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हैं। नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं।

- एड्स (सहायता)/अप्लायसेंस के क्रय/फिटिंग हेतु नि:शक्त व्यक्तियों की सहायता योजना (एडीआईपी): जरूरतमंद नि:शक्त व्यक्तियों को टिकाऊ, कृत्रिम एवं वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक एड्स एवं अप्लायसेंस को खरीदने में सहायता करने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई जिससे उनकी निशक्तता के प्रभाव को कम कर तथा उनकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि कर उनके भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके। 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए के योजनागत परिव्यय में से 32.60 करोड़ रुपए कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसियों को जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को मददगार उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): डीडीआर योजना में हड्डी, वाक, दृष्टि एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुर्वास का प्रावधान करना शामिल है। यह 18 मॉडल परियोजनाओं हेतु प्रावधान करती है जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों जिनका मदद ग्रांट-इन-एड द्वारा होती है द्वारा उपलब्ध करयी गई विभिन्न सेवाएं आती हैं जिसमें प्री-स्कूल हेतु कार्यक्रम एवं शीघ्र इटरवेंशन, विशिष्ट शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्थापन, समुदाय-आधारित पुनर्वास, मानवशक्ति विकास, मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक सामाजिक पुनर्वास तथा कोढ़-मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012-13 में 120 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 31, दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 14.48 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके थे।
- नि:शक्तता ग्रस्त अधिनियम, 1995 की कार्यान्वयन योजना (एसआईपीडीए): इस योजना का उद्देश्य निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों विशेषरूप से उनके पुनर्वास एवं बाधा-रहित पहुंच के प्रावधान हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गठित विभिन्न निकायों को ग्रांट-इन-एड उपलब्ध कराना है। इनमें रैम्प, लिफ्ट, टैक्टाइल रास्ते, नए उत्पाद, विकास एवं अनुसंधान शामिल हैं। 100 करोड़ रुपए के आबंटन में से दिसम्बर, 2012 तक 5.19 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे।
- नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में 01 अप्रैल, 2008 को अथवा उसके बाद नियुक्त हुए नि:शक्तता से ग्रस्त कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 25,000/- रु. तक है को सरकार द्वारा तीन साल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता द्वारा दिया जानेवाला अंशदान उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे निजी क्षेत्र में नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को रोजगार दें।

सामाजिक रक्षा

13.49 सामाजिक रक्षा क्षेत्र में वो योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं जिनका उद्देश्य कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा एवं देखभाल होता है विशेषकर गरीब वरिष्ठ नागरिकों को उत्पादनशील एवं स्वतंत्र जीवन यापन उपलब्ध कराना तथा यंत्रणा के शिकार पीड़ितों में जागरूकता अभियान द्वारा ड्रग की लत को छुडाने एवं उनका इलाज करना ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा में आ सके, होता है। वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वृद्धाश्रम एवं डे केयर सेंटर एवं एमएमयू चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य 2012-13 के दौरान 64,000 लाभार्थियों को मदद पहुंचाना है। एनजीओ को मद्य एवं मादक पदार्थ (ड्रग्स) निवारण हेतु सहायता के माध्यम से शराबियों, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य परियोजनाओं हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र का प्रचालन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान 17 करोड़ के संशोधित आबंटन में से 8.06 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य 1.2 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है।

13.50 राष्ट्रीय स्तर के तीन वित्तीय संस्थान हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के उन्नयन हेतु मदद करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय

सारणी 13.11: 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) में एनएससीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी तथा एनबीसीएफडीसी के अंतर्गत दिए गए ऋण) लाभ पहुंचाए गए लाभार्थियों का ब्यौरा

क्रम सं॰	निगम का नाम	वितरित ऋण की राशि (करोड़ रु. में)				लाभार्थियों की अस्थायी संख्या			
		अवधि ऋण	सूक्ष्म-वित्त	अन्य	कुल	अवधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	अन्य	कुल
1.	एनएससीएफडीसी	77.94	26.53	11.08	115.55	10734	7935	837	19506
2.	एनएसकेएफडीसी	47.86	20.49	3.15	71.50	2312	8167	599	11078
3.	एनबीसीएफडीसी	76.74	25.79	42.92	145.45	17560	24070	50362	91992
	कुल	**202.54**	**72.81**	**57.15**	**332.50**	**30606**	**40172**	**51798**	**122576**

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय

सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) राष्ट्रीय पिछड़ी जातियां वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) अपने लक्षित समूहों को विभिन्न आय का सृजन करने वाली गतिवधियों हेतु रियायती ब्याज दर पर उधार सुविधा देते हैं। 2012-13 के दौरान इन तीन संस्थाओं द्वारा साथ मिलकर 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 1.23 लाख लाभार्थियों में ऋण का वितरण किया। एनबीसीएफडीसी एवं एनएसकेएफडीसी के सूक्ष्म-वित्तीय लाभार्थी में क्रमशः 23.79 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एनएससीएफडीसी के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म-वित्तीय लाभार्थियों में पूर्व वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) में 66 प्रतिशत तक की गिरावट आयी (सारणी 13.11)

दृष्टिकोण एवं चुनौतियां

13.51 2008 की वैश्विक मंदी तथा हालिया वैश्विक मंदी ने अधिकतर देशों हेतु राजकोषीय स्थान को कम दिया है तथा परिणामस्वरूप सामाजिक-क्षेत्र के खर्चों के लिए बजट भी कम हुआ है। फिर भी इन संकटकालीन वर्षों के दौरान भी भारत के सामाजिक क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। भारत द्वारा वृद्धि एवं समावेश की युगल अनिवार्यता का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जबकि वृद्धि का परिणाम उच्चतर एवं बेहतर नौकरियां हों। जहां सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम मनरेगा का उद्देश्य मध्यावकाश में 'नौकरी की कमी' को पूरा करना है, हमें दीर्घाकालिक समविष्ट वृद्धि रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित करना है। 01 ट्रिलियन डॉलर अवसंरचना अवसर ऐसा ही एक उदाहरण है। मध्यावकाश में भी मनरेगा जैसी योजनाओं को अधिक उत्पादन एवं वृद्धि-उत्पादक गतिविधियों की ओर बढ़ना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना मसौदे ने त्वरित, अधिक सम्मिलित एवं अनवरत वृद्धि पर जोर दिया है। भारत में मानव किास के दो क्षेत्रों-स्वास्थ्य एवं शिक्षा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इनसे हमारे जनसांख्यिकी लाभ को वास्तविक लाभांश में बदलने में सहायता मिलेगी (अध्याय 2 देखें) निधियों के अधिकतम सदुपयोग एवं आउटपुट को परिणाम में बदलने के लिए सुपुदर्गी संबंधित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने हेतु अभियान स्वरूप किया जाना होगा। इसके लिए अच्छा अभिशासन महत्वपूर्ण है।

13.52 व्यय प्रबंधन में पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक कार्यक्रमों पर किए जाने वाले सरकारी व्यय में दसवीं पंचवर्षीय योजना में हुए 9.10 लाख रुपए से भारी वृद्धि होते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 22.69 लाख रुपए हुआ जो 149 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 15 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों के ऊपर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह अभूतपूर्व तीव्र वृद्धि है। जनता के अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनेक विधायी कदम उठाए गए हैं जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम एवं शिक्षा का अधिकार (आरटीई)। इस प्रकार निधि दी जा रही है। अधिकारों की संवैधानिक गारंटी है तथा कई उपलब्धियां हासिल की गई किन्तु इसके साथ ही निधि का कहीं और जाना या निधि का सही हाथों में ना पहुंच पाना भी बड़ी समस्या है। जहां यूआईडी की सहायता से प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारा इस समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी वहीं अभिसरण (एकीकरण एवं मिलाने) से सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में होने वाले व्यय को घटाने की पर्याप्त संभावनाएं होंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि एएबीवाई, जेबीवाई एवं आरएसबीवाई जैसी कई योजनाएं है जो एक ही तरह के लाभार्थियों हेतु बनायी गई है जैसे कि शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) पूर्व दो योजनाओं के तहत अतिरिक्त लाभ के रूप में कार्य करती है। इस साल जेबीवाई को एएबीवाई योजना में मिला एक अच्छा कदम उठाया है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कई योजनाओं को मिलाकर एक करने की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए जेएसवाई, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) एवं आईजीएमएसवाई के प्रयोजन एवं लाभार्थी भी एक ही है। इसके लिए ऐसी योजनाओं की सावधानी से पहचान कर उन्हें एक करने की आवश्यकता है। चूंकि किसी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक न्यूनतम निवेश या परिव्यय जरूरी होता है अतः योजनाओं हेतु निवेश/परिव्यय की एक न्यूनतम सीमा भी तय की जा सकती है। 'केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की पुर्नसंरचना' की समिति ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजनाओं हेतु पंचवर्षीय योजना के तहत कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय होना चाहिए तथा उन्हें फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

13.53 विकेन्द्रीकरण का क्षेत्र भी ऐसा है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जहां योजनागत कार्यक्रमों को 'नीचे से ऊपर' की सोच पर तैयार किया जाता है तथा वे पंचायत एवं पीआरआई-केन्द्रित होते हैं वहीं वास्तविक में इनका कार्यान्वयन 'ऊपर से नीचे' तरीके से किया जाता है तथा यह स्थानीय जनता खासकर प्रभावित लोगों की जरूरतों एवं आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूरे नहीं कर पाते। 73वीं संवैधानिक संशोधन के साथ अनेक कार्यों का हस्तांतरण पीआरआई को सौंप दिया गया तथा 2004 से विशेषकर मनरेगा के अधिनियमन के बाद भारी मात्रा में निधि का हस्तांतरण भी पीआरआई को किया गया है। किन्तु संस्थानात्मक रूप से पीआरआई अभी भी कमजोर है तथा उसमें कार्यक्रमों की प्रभावी तरीके से योजना बनाने या उसका कार्यान्वयन करने की अपेक्षित क्षमता नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना पहले से पूर्ण रूप से भिन्न है तथा वह पंचायती राज मंत्रालय हेतु भारी संसाधन का प्रावधान करती है। इन उच्चतर परिव्ययों के परिणाम भी उच्चतर होने चाहिए। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ पीआरआई को प्रशिक्षण देकर एवं जागरुक कर उन्हें सशक्त किए जाने की जरूरत है। किए गए लाभार्थियों को नकद अंतरण करने से नागरिकों के सशक्तीकरण में मदद मिल सकती है साथ ही उनके पास अपना प्रदाता (प्रोवाइडर) का चयन करने का विकल्प भी होगा। इससे भी सेवा-सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार आएगा।